हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 मार्च, 2002

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

मंगलवार, 5 मार्च, 2002

	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष को हटाने के संकल्प की सूचना	1
नियम 45(1) के अधीन चेयर के आदेशानुसार सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नों के रूप में आज के तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	2
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	21
घोषणाएं--	
(क) अध्यक्ष द्वारा--	35
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	35
(ii) याचिका समिति	36
(ख) सचिव द्वारा--	36
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	36
फाइनेंस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	36

मूल्य : 73 00

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र	40
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा/सभा का स्थगन	42
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा/सदस्यों को नेम करना/ सदस्यों का निलम्बन	46
वाक आउट	52
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा/सदस्यों को नेम करना/ सदस्यों का निलम्बन (पुनरारम्भ)	53
वैयक्तिक स्पष्टीकरण--	
श्री बंसी लाल, एम० एल० ए० द्वारा	63
वाक आउट	63
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	63
बैठक का समय बढ़ाना	78
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	78
बैठक का समय बढ़ाना	80
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	81

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 5 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई, अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की ।

अध्यक्ष को हटाने के संकल्प की सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Resolution for removal of Speaker by Shri Bhajan Lal, M.L.A. and five other M.L.As under Rule 11 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly read with Article 179(c) of the Constitution of India.

Since the notice of Resolution has been received against me, I consider it appropriate to take up this matter first i.e. before taking the business of today and there shall be no Questions Hour. However, the starred questions fixed for today, will be treated as un-starred and their replies will be included in the debate.

I have gone through the notice of Resolution for the removal of the Speaker given by Sarvshri Bhajan Lal and 5 other M.L.As. I have also gone through the provisions of Article 179(c) of the Constitution of India and the provision of Rule 74 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly. In addition to this, I have also gone through the relevant chapter, regarding the removal of Speaker, of the book "Practice and Procedure of Parliament" written by Kaul and Shakdher.

The allegations levelled in the said notice of resolution are more or less the same as were levelled in the resolution submitted by Sarvshri Bhajan Lal & Ajay Singh Yadav earlier on 25-10-2001, which was disallowed on 9th November, 2001. The perusal of the allegations shows that the entire allegations levelled against the office of Speaker are baseless and not supported by anything except a mere allegation. Moreover, other grounds mentioned by the Hon'ble Members in their so-called Resolution relate to my administrative actions as Speaker and cannot form the subject /basis for tabling a Resolution for removal. However, I do not want to stand on the technicalities of the Motion. I, therefore, admit the notice. However, so far as last para of memorandum with the resolution regarding demolition of House/murder etc. is concerned, the same cannot be discussed in the House, being sub-judice matter.

Now,I request those members, who are in favour of leave being granted to please rise on their seats. (Noise and Interruptions) Please count the number of members. (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों से खड़े हो कर बोलने लगे)

[Mr. Speaker]

क्वैश्चन ऑवर स्थगित किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं ताकि लीव ग्रान्ट के लिए गिनती की जा सके । (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : अध्यक्ष महोदय, यह मामला क्वैश्चन ऑवर के बाद टेक अप होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जब आप लोगों का स्पीकर में विश्वास ही नहीं रहा तो हाउस की कार्यवाही के लिए पहले स्पीकर में विश्वास होना चाहिए बाकी का मामला उसके बाद ही टेकअप किया जाएगा। (विघ्न एवं शोर) जब आपको स्पीकर में विश्वास ही नहीं तो हाउस का कोई बिजनैस टेकअप नहीं हो सकता। चेयर का फर्ज बनता है कि चेयर में पहले विश्वास प्राप्त कर लें इसलिए आप सभी अपनी सीटों पर खड़े हों ताकि लीव ग्रान्ट के लिए गिनती की जा सके । (शोर एवं व्यवधान)

(At this stage less than 23 Members i.e. 13 Members rose in their seats)

13 सदस्य लीव ग्रान्ट के लिए खड़े हुए हैं इसलिए यह वांछित गिनती से कम है Therefore, leave is not granted. (शोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) जो लोग बिना परमिशन के बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कई माननीय सदस्य वैल में आ कर खड़े होकर बोलने लगे तथा नारे लगाने लगे)

नियम 45 (1) के अधीन चेयर के आदेशानुसार सदन की मेज पर रखे गए अतारांकित प्रश्नों के रूप में आज के तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Stamp Duty for Obtaining Loans

857. Capt Ajay Singh Yadav : Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether it is a fact that 1½% stamp duty is being charged from the farmers/ persons beloging to Scheduled Castes and Backward Classes who are the members of the Cooperative Societies/Mini Banks on deeds for obtaining loans above Rs. 50,000/- from the said Societies/Banks by the Treasury/Revenue officials; if so, the reasons thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना): हां, श्रीमान् जी, यह इण्डियन स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही वसूल किया जा रहा है।

Decline in Standard of Education

890. Shri Jai Parkash Gupta : Will the Minister of State for Education be pleased to state :—

(a) whether the Government is aware of the fact that there is steep decline in learning level in Primary School Education in the State as per study conducted by NCERT; if so, the details thereof;

(b) whether any guideline has been received from the Union Government to improve the standard of education in the State particularly at Primary level ; and

(c) if so, the steps so far taken in this regard?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) जी नहीं, हरियाणा राज्य में प्राथमिक शिक्षा का स्तर घट नहीं रहा, बल्कि सुधर रहा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार से अभी तक इस सन्दर्भ में कोई विशेष निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) राज्य सरकार ने नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इनमें विशेषत : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार, अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, बुक बैंक योजना, शिक्षण-अधिक्षण, अधिकतम सामग्री का प्रावधान, शिक्षा सुविधाओं को अधिक सशक्त बनाना, पाठ्य पुस्तकों का विकास आदि शामिल है।

Crushing Capacity of Sugar Mills

971. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the districtwise total acreage of land under sugar-cane cultivation in the State during the year 2001-2002;

(b) the crushing capacity of each Sugar Mill in the State ; and

(c) whether entire sugar-cane grown in the State during the period referred to in part "a" above is to be crushed by Sugar Mills, if not, whether there is any proposal under consideration of the Government to give compensation to those sugar-cane growers whose sugar-cane could not be crushed ?

कृषि मन्त्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : अपेक्षित सूचना विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत की जाती है।

सूचना

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य में गन्ने की फसल के अधीन लगभग 1.64 लाख हैक्टेयर क्षेत्र है । गन्ने के अधीन जिलावार अनुमानित क्षेत्र अनुलग्नक-I में दर्शाया गया है।

(ख) राज्य में प्रत्येक चीनी मिल की पिराई क्षमता अनुलग्नक-II में दशाई गई है।

(ग) मिलों के आरक्षित क्षेत्र में उगाया गया गन्ना लगभग पूर्णतया सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा पिराई कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त किसानों के गन्ने की फसल को गुड़/खाण्डसारी ईकाइयों द्वारा एवं बीज, चारा तथा चूसने में भी प्रयोग किया जाता है।

[सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू]

अनुलग्नक-I

सीजन 2001-2002 के दौरान राज्य में जिलावार गन्ने के अधीन अनुमानित क्षेत्र की सूची।

क्र0 सं0	जिला	क्षेत्र 000 हैक्टेयर (2001-2002 अनुमानित)
1.	हिसार	6
2.	फतेहाबाद	3
3.	सिरसा	2
4.	भिवानी	2
5.	रोहतक	16
6.	झज्जर	2
7.	सोनीपत	13
8.	गुड़गांव	—
9.	फरीदाबाद	8
10.	करनाल	12
11.	पानीपत	7
12.	कुरुक्षेत्र	17
13.	कैथल	6
14.	अम्बाला	17
15.	पंचकूला	1
16.	यमुनानगर	43
17.	जीन्द	9
18.	महेन्द्रगढ	—
20.	रिवाड़ी	—
	कुल	**164**
		(1.64 लाख हैक्टेयर)

अनुलग्नक-II

क्र0 सं0	चीनी मिलों का नाम	पिराई क्षमता (टन प्रति दिन)
1	2	3
1.	करनाल	2500
2.	पानीपत	1800
3.	सोनीपत	1250
4.	रोहतक	1750
5.	शाहबाद	3500
6.	जीन्द	1250
7.	पलवल	1250
8.	कैथल	2500
9.	महम	2500
10.	भूना	2500
11.	सिरसा	1750
12.	गोहाना	2500
निजी क्षेत्र		
13.	यमुनानगर	11000
14.	नारायणगढ़	2500
15.	भादसों	2500

नोट : पिराई सीजन 2001-2002 के दौरान सिरसा तथा गोहाना की चीनी मिलें ट्रायल आधार पर पिराई कार्य कर रही हैं।

Water Supply Scheme for Mewat Area

834. Shri Puran Singh Dabra
Shri Hamid Hussain : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred on Water Supply Scheme in the Mewat Area during the last five years and current financial year 2001-2002, togetherwith the details of the works executed during the last five years ; and

(b) the detials of the works proposed to be executed during the current financial year 2001-2002 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) श्रीमान् जी, इस बारे में सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

(ख) श्रीमान् जी, इस बारे में सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

सूची (क)

(रुपये लाखों में)

1. पिछले पांच वर्षों में किया गया कुल खर्च — 1345 लाख रुपये
2. चालू वित्त वर्ष 2001-2002 में (जनवरी,2002 तक) किया गया कुल खर्च — 952 लाख रुपये
3. चालू वित्त वर्ष 2001-2002 में संभावित खर्च — 1050 लाख रुपये
4. पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए कार्यों की संख्या
1.	गांवों की संख्या जहां पेयजल आपूर्ति 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से प्रदान की गई	175
2.	ट्यूबवैल	170
3.	बुस्टिंग स्टेशन	21
4.	पाईप लाईन की लम्बाई	300 किलोमीटर

सूची (ख)

क्रम सं0	विवरण	वर्ष 2001-2002 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यों की संख्या
1.	गांवों की संख्या जहां पेयजल आपूर्ति 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से प्रदान की गई	112
2.	ट्यूबवैल	107
3.	बूस्टिंग स्टेशन	34
4.	पाईप लाईन की लम्बाई	226 किलोमीटर
5.	जनरेटिंग सैट	27
6.	डिसैलीनेशन प्लांट	3

Accelerated Urban Water Supply Scheme

***843 Shri Pawan Kumar Dewan** :— Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to accelerate Urban Water Supply Scheme, if so, the details thereof together with the names of the cities which are proposed to be covered during the year 2001-2002 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान् जी हां विवरणी सदन के पटल प्रस्तुत है।

विवरण

इस समय 17 शहरों की स्कीमों पर जिनकी अनुमानित राशि 3057.11 लाख रुपये है, त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत कार्य प्रगति पर है। 17 स्कीमों में से, 11 स्कीमें शहरी त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत, 2162.78 लाख रुपये की अनुमानित राशि से 8/99 से अब तक स्वीकृत की गई है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह स्कीम 1991 की जनसंख्या के आधार पर 20000 से कम आबादी वाले शहरों पर लागू है । स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	लाभान्वित शहर का नाम	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5
1.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, तावडू	122.91	तावडू	3/2002
2.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, असन्ध	247.32	असन्ध	3/2002

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3	4	5
3.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, रतिया	85.22	रतिया	3/2002
4.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, उचाना	103.42	उचाना	3/2003
5.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, कलानौर	212.93	कलानौर	3/2003
6.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, खरखौदा	122.53	खरखौदा	3/2003
7.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, नारायणगढ़	97.50	नारायणगढ़	3/2003
8.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, सढ़ौरा	80.00	सढ़ौरा	3/2003
9.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, इन्द्री	88.00	इन्द्री	3/2003
10.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, नूह	165.00	नूह	3/2003
11.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, महम	252.50	महम	3/2003
12.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, फिरोजपुर झिरका	92.66	फिरोजपुर झिरका	3/2003
13.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, महेन्द्रगढ़	332.87	महेन्द्रगढ़	3/2003
14.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, हेली मण्डी	123.82	हेली मण्डी	3/2003
15.	बढ़तौरी जल वितरण योजना, कालांवाली	245.43	कालांवाली	3/2003
16.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, बेरी	398.30	बेरी	3/2003
17.	बढ़ौतरी जल वितरण योजना, पिंजौर	286.70	पिंजौर	3/2003

Upgradation of Sub-station Nigdu.

841. Shri Dharam Pal: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a Power Sub-station in Nigdu, Raipur and Shamgarh in district Karnal ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : ग्राम निगदू में एक नया 33 के0 वी0 उपकेन्द्र का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है जिसका निर्माण वर्ष 2002-03 के दौरान शुरु करने का प्रस्ताव है। 220 के0वी0 उपकेन्द्र करनाल पर फीडिंग की क्षमता बाधा दूर करने के बाद वर्ष 2003-04 में शामगढ़ में 33 के0वी0 उपकेन्द्र की स्थापना करने का एक प्रस्ताव है। वर्तमान समय में रायपुर ग्राम में 33 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Outstanding Payment of Sugarcane

994. Shri Balbir Singh : Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) the total quantity of Sugarcane purchased by each Cooperative Sugar Mill during the year 1999-2000 & 2000-2001; and

(b) whether the payment of the entire Sugarcane as referred to in part (a) above has been made to the farmers; if not the reasons therefor ; togetherwith the time by which the payment of the remaining Sugar-cane is likely to be made ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भडाना) :

(क) एक तालिका पटल पर रखी गई है।

(ख) जी हां श्री मान, वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 से सम्बन्धित सहकारी चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये समस्त गन्ने का भुगतान किसानों को कर दिया गया है।

तालिका

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में सहकारी चीनी मिलों द्वारा खरीदे गए गन्ने की मात्रा नीचे दी गई है—

क्रमांक	मिल	खरीदे गए गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटल) 1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
1.	पानीपत	19.53	25.28
2.	रोहतक	21.22	31.57
3.	करनाल	40.52	41.00
4.	सोनीपत	17.19	28.74

[श्री करतार सिंह भडाना]

1	2	3	4
5.	शाहाबाद	60.58	62.83
6.	जीन्द	22.23	31.35
7.	पलवल	19.35	29.82
8.	महम	25.74	38.60
9.	कैथल	28.40	33.21
10.	भूना	20.38	21.05
	कुल	275.14	343.45

Upgradation of Schools

845. Shri Sher Singh : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government High School namely Igrah Bibipur, Lajwana Kalan, Nidana and Gatauli as Senior Secondary Schools or any other school in Julana Constituency ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(1) जी हां ! राजकीय उच्च विद्यालय लजवाना कलां वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। राजकीय उच्च विद्यालय ईगराह बीबीपुर, राजकीय उच्च विद्यालय निदाना एवं राजकीय कन्या उच्च विद्यालय गतौली का मामला विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त जुलाना विधान सभा क्षेत्र से किसी विद्यालय को स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Fly over on G.T. Road at Panipat.

930. Shri Krishan Lal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to Construct a fly-over on National Highway No.1 (G.T. Road) in Panipat city ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान् जी। पानीपत में उपरगामी उच्च मार्ग का व्यवहारिक अध्ययन भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

Construction of Roads in Kaithal Constituency

922. Shri Lila Ram : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following new roads in Kaithal Constituency—

1. Dayora to Jaswanti ;
2. Ujhawa to Gyog ;
3. Keodak to Kathwad ;
4. Dayod Kheri to Narad ;
5. Dayod Kheri to Sharad ;
6. Kaithal to Fanswala ;
7. Ambala Road Bye-Pass to Old Kurukshetra Road Bye-Pass ; and
8. Atela to Fursh Majra .

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हां, श्री मान जी।

Performance of Thermal Power Stations

919. Shri Padam Sigh Dahiya : Will the Chief Minister be pleased to state whether there has been any improvement in the performance of Thermal Power Stations during the year 1997-98 to 2001-2002, if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): हां, श्रीमान। वर्ष 1997-98 से 2001-02 के दौरान थर्मल पावर स्टेशनों के निष्पादन में निम्नलिखित सुधार हुआ है—

(i) प्लान्ट लोड फैक्टर 49.17 प्रतिशत से बढ़कर 59.91 प्रतिशत हो गया है।

(ii) औसत दैनिक विद्युत उत्पादन 96 लाख यूनिट से बढ़कर 135 यूनिट लाख हो गया है जो कि 40 प्रतिशत की वृद्धि है।

(iii) प्रति यूनिट कोयला उपभोग 843 ग्राम से घटकर 792 ग्राम हो गया है जिसके फलस्वरूप 96.19 करोड़ रुपए की संचित बचत हुई है।

(iv) तेल उपभोग में 74 प्रतिशत की कमी आई है अर्थात प्रति यूनिट तेल उपभोग 12.99 मिलि लीटर से घटकर 3.33 मिलि लीटर हो गया है । जिसके फलस्वरूप 81.34 करोड़ रुपये की संचित बचत हुई है।

(v) इसी प्रकार आक्जलरी खपत 12.24 प्रतिशत से घटकर 11.17 प्रतिशत हो गई है।

Sunischit Rozgar Yojana

845. Shri Ramesh Kumar Khattak : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount spent under Sunischit Rozgar Yojana in the State during the year 2000-2001 alongwith the details of the development work undertaken in the rural areas ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : राज्य में वर्ष 2000-2001 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना (ई0 ए0 एस0) के अधीन 3256.93 लाख रूपये की कुल राशि खर्च की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 4019 विकास कार्य जैसे कि स्कूल के कमरों का निर्माण, जल निकासी कार्य, वाणिकी कार्य, रिटेनिंग वाल, गलियों और नालियों को पक्का करने इत्यादि हाथ में लिए गये थे ।

Amount Released for Rural Development in Pehowa Constituency

829. Shri Amar Singh Dhanday : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount sanctioned/released under the H.R.D.F Scheme for the Rural Development Works in Pehowa Constituency in District Kurukshetra during the period from 11-5-1996 to 24-7-1999; and

[Shri Amar Singh Dhanday]

(b) the total amount sanctioned/released under the H.R.D.F scheme in the Pehowa Constituency in District Kurukshetra in the first and second phase of "Sarkar Apke Dwar" programme during the period from 25-7-1999 to 30-6-2001 and 1-7-2001 to 20-8-2001 respectively?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान जी,

(क) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि योजना के तहत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए पेहवा हल्का जिला कुरूक्षेत्र में 11-5-96 से 24-7-99 तक की अवधि के दौरान 1.25 लाख रू0 की राशि स्वीकृत एवं जारी की गई।

(ख) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि योजना के तहत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए पेहवा हल्का जिला कुरूक्षेत्र में "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत प्रथम तथा द्वितीय चरण में निम्न प्रकार से राशि स्वीकृत एवं जारी की गई है :--

(राशि लाखों में)

अवधि	जिला	हल्का	स्वीकृत राशि	जारी राशि
25-7-99से 30-6-2001 तक (प्रथम चरण)	कुरूक्षेत्र	पेहवा	149.79	143.70
1-7-2001 से 20-8-2001तक (द्वितीय चरण)	कुरूक्षेत्र	पेहवा	308.74	294.82
प्रथम चरण+द्वितीय चरण (25-7-99 से 20-8-2001)		कुल :	458.53	438.52

Outstanding amount against HSEB/HVPN

997. Shri Ram Kishan : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the outstanding amount payable by the erstwhile HSEB to the NTPC, NHPC, BBMB, IP, NAPP, RAPP, PGCIL, CIL and Railway as on 1-4-1996 and by the HVPNL to NTPC, NHPC, PGCIL, BBMB, IP, RAPP, NAPP and HPGCL as on 23-7-1999 and 31-12-2001 respectively including the liabilities created by issuing Bonds in favour of various agencies ;

(b) the amount actually paid by the Government to the erstwhile HSEB/ Power Company during each of the last five years towards RE Subsidy and other purposes (i.e.loans/equity etc.); and

(c) the status gap in income (Cash basis) & Expenditure (Accrual basis) of the erstwhile HSEB/Power Companies during each Financial Year 1996-97 onwards ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) दिनांक 1-4-96 को पूर्व हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा एनटीपीसी, एनएचपीसी, बीबीएमबी, आईपी, एनएपीपी, आरएपीपी, पीजीसीआईएल,सीआईएल तथा रेलवे को देने योग्य बकाया राशि तथा दिनांक 1-8-99 तक हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, बीबीएमबी, आईपी, आरएपीपी, एनएपीपी तथा एचपीजीसीएल को देने योग्य बकाया धन राशि/दिनांक 23-7-99 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और दिनांक 31-12-01 का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :--

(रूपये करोड़ों में)

देनदारी	अधिभार सहित देने योग्य बकाया राशि
1-4-1996	931.35
1-8-1999	1994.85
31-12-2001	
(क) सहमति वाली देनदारियां	1258.71
(ख) विवादित देनरियां	202.19
योग	1460.90*

* उपरोक्त बकाया राशि के आंकड़े 994 करोड़ रूपये के बांड को छोड़कर हैं जोकि 31-3-2000 से 31-5-01 के दौरान निर्गत किए गए थे।

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड/विद्युत निगमों को वास्तव में दी गई आरई सहायता, ऋण तथा इक्विटी का ब्यौरा निम्न प्रकार से है—

वर्ष	आर0 ई0 सबसिडी	ऋण	इक्विटी	योग
1	2	3	4	5
1996-97				
नकद	109.15	304.35	शून्य	
राज्य सरकार के बकाया ऋणों के विरूद्ध समायोजन	529.94	शून्य	शून्य	934.44
1997-98				
नकद	150.00	317.40	शून्य	
राज्य सरकार के बकाया ऋणों के विरूद्ध समायोजन	582.40	शून्य	शून्य	1049.80

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3	4	5
1998-99				
नकद	364.00	30.00	325.00	
समायोजन	शून्य	शून्य	शून्य	719.00
1999-2000				
नकद	320.27	27.50	311.76	
विश्व बैंक के रिइंबरीसमैंट तथा बाजार ऋण के विरूद्ध समायोजन	91.73	शून्य	38.24	789.50
2000-2001				
नकद+विद्युत शुल्क	177.42	15.00	265.00	
समायोजन	शून्य	शून्य	शून्य	457.42
2001-2002(28-2-2002 तक)				
नकद	652.77	2.50	10.00	
समायोजन	शून्य	शून्य	शून्य	665.27

(ग) पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड/विद्युत कम्पनियों की आय/नकद आधार/तथा खर्च/उपचय आधार/में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष 1996-97 से 2001-02/ 30-9-01 तक/का स्तर अंतर/स्टेटस गैप/निम्नानुसार था :--

वर्ष	(a) तिथि सहित टैरिफ प्रतिशत में वृद्धि (b) तिथि सहित प्रति यूनिट लागू अधिभार	नकद आधार पर आमदनी तथा बढ़ आधार पर खर्च में अंतर	नकद आमदनी का प्रतिशत अंतर
1	2	3	4
1996-97	(a) 20% (1-7-1996) (b) 18 पैसे (1-4-1996),8 पैसे (1-7-1996), 13 पैसे (2-7-1996), 19 पैसे (1-8-1996), 22 पैसे (20-10-1996),	(-) 636.11	(-) 42.31%
1997-98	(a) शून्य (b) 35 पैसे (1-4-1997), 38 पैसे (2-9-1997), 41 पैसे (15-10-1997)	(-) 797.93	(-) 45.57%

1	2	3	4
1998-99	(a) 15%(15-6-1998) (b) 41 पैसे (1-4-1998 to 14-6-98)	(-) 538.86	(-) 24.40%
1999-2000	(a) शून्य (b) शून्य	(-) 829.92	(-) 32.66%
2000-2001 लेखा परीक्षा न किए गए खाते	(a) 11.3%(1-1-2001) (b) 12 पैसे (1-8-2000 to 31-3-2001)	(-) 442.81	(-) 14.01%
2001-2002 (प्रथम पहला अर्ध वर्ष) लेखा परीक्षा न किए गए खाते	(a) 0.8% (1-9-2001) (b) 12 पैसे (1-4-2001से 31-7-2001) दिनांक 1-8-01 से अधिभार वापस लिया गया।	(-) 254.35	(-) 14.95%

* वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य की 591.88 करोड़ रूपए की वचन दी गई सबसिडी तथा 36.10 करोड़ रूपये का ब्याज तथा हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के आदेश के संदर्भ में वर्ष 2001-02/प्रथम अर्द्ध वर्ष/ के दौरान 24.90 करोड़ रूपये का ब्याज शामिल है। देनदारी को सरकार द्वारा सीपीएसयूज को टैक्स फ्री बोन्डस जारी करके प्रत्यक्ष रूप से डिस्चार्ज किया जा रहा है।

** सपीपीएसयूज को बोंडस पर भुगतान किए गए 31.02 करोड़ रूपये के ब्याज की बचत जोकि सीपीएसयूज को देय मूलराशि के विरूद्ध समंजित की जानी हैं, का समंजन शामिल है।

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिए अंतर में क्रमश: पैंशन फंड/पैंशन बोंड्स पर 60.04 करोड़ रूपये 60.30 करोड़ रूपये तथा 33.65 करोड़ रूपये/प्रथम अर्द्ध वार्षिक/का ब्याज शामिल है। ऐसे ब्याज का प्रावधान 1999-2000 के पहले नहीं किया जा रहा था।

Canal Based Drinking Water Scheme

874. Rao Narender Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which ongoing work of Canal Based Water Supply Scheme for the village of Bhakri, Godbalawa, Khatoli Jat and Mohanpur in District Mahendergarh is likely to be completed?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : सभी छह गांवों, भाकड़ी, गोद, बलाह, कलां, बलाहखुर्द, खातौली जाट और मोहनपुर को इस समय ट्यूबवैलों द्वारा 25-30 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति की जी रही है।

जिला महेन्द्रगढ़ में भाकड़ी, गोद, बलाह कलां, बलाह खुर्द व अन्य 6 गांवों के लिए एक नहरी जलापूर्ति योजना प्रस्तावित है। इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह नहरी पानी की सुनिश्चितता पर निर्भर है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

इस समय गांव खतौली जाट व मोहनपुर गांवों के लिए नहरी जलापूर्ति योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Opening of I.T.I. at village Chautala

825. Dr. Sita Ram : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under considration of the Government to open an I.T.I. in village Chautala, District Sirsa?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी, हां।

Electricity Connections to Tubewells

864. Shri Krishan Pal : Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) whether any application for electricity connections to tubewells lying pending in the State at present, if so, the district-wise number thereof togetherwith the date since when these are lying pending; and

(b) the time by which the aforesaid tubewells connections are likely to be released to the said applicants ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) दिनांक 31-2-2001 तक 77149 टयूबवैल कनैक्शन के आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अन्तर्गत जिला अनुसार लम्बित पड़े आवेदन पत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

क्र0 सं0	जिले का नाम	जिले में कुल लम्बित आवेदन पत्र	सबसे पुराने लम्बित आवेदन पत्रों की तिथि
1	2	3	4
1.	अम्बाला	2995	सितम्बर 1987
2.	पंचकूला	490	नवम्बर 1987
3.	यमुनानगर	4575	अप्रैल 1990
4.	कुरुक्षेत्र	2840	फरवरी 1982
5.	कैथल	7626	अगस्त 1986
6.	सोनीपत	4470	जनवरी 1987
7.	जींद	5063	अप्रैल 1987

1	2	3	4
8.	रोहतक	761	अप्रैल 1990
9.	झज्जर	1625	फरवरी 1988
10.	करनाल	8485	1984
11.	पानीपत	4285	अप्रैल 1987
12.	फरीदाबाद	2002	जुलाई 1989
13.	गुड़गांव	4113	अगस्त 1987
14.	महेन्द्रगढ़	3064	जुलाई 1987
15.	रिवाड़ी	4456	दिसम्बर 1985
16.	भिवानी	6808	मार्च 1987
17.	हिसार	2449	अक्तूबर 1987
18.	फतेहाबाद	4452	दिसम्बर 1983
19.	सिरसा	6590	अक्तूबर 1986
	योग	**77149**	

(बी) टैस्ट रिपोर्ट के साथ प्रार्थना पत्र जो दिनांक 31-3-1997 तक प्राप्त हुए थे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के लिए कहा गया है । शेष बचे दिनांक 31-12-2001 तक टैस्ट रिपोर्ट के साथ प्रार्थना पत्रों को चालू वर्ष में कनैक्शन देने पर विचार किया जाएगा। दूसरे चरण में शेष आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर उनके प्रति उत्तर को ध्यान में रखते हुए आगामी तीन से पांच वर्षों में कनैक्शन जारी करने पर विचार करना प्रस्तावित है ।

Yatri Niwas at Ambala Cantt.

871 Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Yatri Niwas at Ambala Cantt.?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्री सुभाष गोयल) : जी हां ।

Road Accidents occurred in the State

911. Shri Balwant Singh Sadhaura : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The number of road accidents occurred in the State during the last five years together with the number of persons died and injured in the said accidents separately ; and

(b) The details of the steps taken to check the road accidents in the State ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क), (ख) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

(क) पिछले पांच वर्षों (1997-2001 तक) के दौरान राज्य में कुल 40,019 सड़क दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 14,230 लोग मारे गए तथा 40,828 लोग घायल हुए जिनका विवरण निम्नलिखित है—

क्र0 सं0	वर्ष	सड़क दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति
1.	1997	7189	2689	7742
2.	1998	7983	2789	7893
3.	1999	8248	2900	8417
4.	2000	8206	2941	8695
5.	2001	8393	2911	8081
	कुल	40019	14230	40828

(ख) उपरोक्त दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण :

1. राज्य सरकार ने सड़कों पर प्रतिदिन बढ़ती हुई मोटर वाहनों की संख्या तथा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति की गम्भीरता को देखते हुए तथा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा काउंसिल के सुझावनुसार राज्य परिवहन विभाग के अन्तर्गत एक प्रवर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में निम्नलिखित उद्देश्यों से एक नई सड़क सुरक्षा व्यवस्था "हरियाणा हाई-वे पैट्रोल एण्ड सेफ्टी" (3-1-2000) से शुरू की है।

उद्देश्य :

(क) यातायात को नियन्त्रित करना तथा दुर्घटना दर को रोकना,

(ख) दुर्घटना होने की स्थिति में तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचना और घायलों को नजदीक के इस्पताल में पहुंचाकर उनका जीवन बचाना,

(ग) सड़क सुरक्षा सम्बन्धित शिक्षा व जागृति प्रदान करना।

2. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने पहले चरण में राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक तीस किलोमीटर की दूरी पर "19 यातायात सहायता केन्द्र" स्थापित किए हैं :—

* राष्ट्रीय राजमार्ग नं 1 दिल्ली-अम्बाला रोड (समालखा, करनाल, समानी, मोहरा)
* राष्ट्रीय राजमार्ग नं 2 दिल्ली-आगरा रोड (फरीदाबाद, बन्धारी (होडल))

* राष्ट्रीय राजमार्ग नं 8 दिल्ली-जयपुर रोड (गुड़गांव, धारूहेडा, बावल)

* राष्ट्रीय राजमार्ग नं 10 दिल्ली-हिसार, सिरसा रोड (सांपला,मदीना सोरखी, हिसार, डांगर, मोरीवाला, औढान)

3. ऐसे प्रत्येक यातायात सहायता केन्द्र पर एक क्रेन, एक एम्बूलैन्स, प्राणरक्षक चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यक सामग्री एवं प्रशिक्षित स्टाफ सहित, एक जिप्सी, एक मोटर साईकिल, एक फोटोग्राफर, एक गति मापकयंत्र एवं एक एल्कोमीटर उपलब्ध कराया गया है।

4. यातायात सहायता केन्द्रों के अधिकारियों द्वारा 1,274 घटनाओं में तुरन्त कार्यवाही करके 1,368 घायलों को तुरन्त ही निकटवर्ती हस्पतालों में पहुंचाया गया तथा 945 दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया । इसके अतिरिक्त 382 गाड़ियां दुर्घटना स्थलों से क्रेन की मदद से हटाई गईं।

5. राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति को गम्भीरता से देखते हुए प्रत्येक जिले में यातायात सिपाहियों की संख्या और बढ़ाने हेतु यातायात सिपाहियों के 1,113 नए पद स्वीकृत किए हैं।

6. हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में गति नियंत्रक लगाए गए हैं। चालकों की दृष्टि समय-समय पर चैक कराई जाती है और सरकारी ड्राईवरों को समय-समय पर यातायात एवं सड़क नियमों की जानकारी के लिए रिफरैशर कोर्स चलाए गए हैं।

7. हाईवे पैट्रोल के अधिकारियों ने अब तक सड़क सुरक्षा के प्रति स्कूली बच्चों, ग्रामीणों, ट्रक ड्राईवरों, अन्य चालकों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप कारखानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों में जागरूकता हेतु 365 अभियान चलाए।

8. राष्ट्रीय राजमार्ग नं 1,2,8 और 10 पर स्थित शहरों के 48 सिनेमा हालों में सड़क सुरक्षा के बारे में स्लाईड्स दिखाई गई हैं।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग नं 1 पर यातायात सहायता केन्द्र के टैलीफोन नम्बर दर्शाने वाले 81 हाई इन्टैन्सिटी रिफलैक्टर बोर्ड लगाए हैं।

10. तिपहिया वाहनों पर 44,455 रिफलैक्टर लगाए गए।

11. 200 रिफ्लैक्टर फोन यातायात सहायता केन्द्रों को दिए गए।

12. पुलिस सहायता केन्द्रों को 100 रिफ्लैक्टर जाकेट दी गई है।

13. राष्ट्रीय राजमार्ग नं 1,2, और 8 पर महत्वपूर्ण लाल बत्ती चौराहों पर रिवर्स टाईगर लगाए गए हैं।

14. अनाधिकृत रूप से सवारियां ढोने वाली मैक्सी कैब को बन्द किया गया ।

15. हरियाणा हाईवे पैट्रोल द्वारा निर्माण में कमी और दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करके नैशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया तथा पी0डब्लू डी (बी0एण्ड0आर0) को सूचना देकर इन कमियों को दूर करवाने में महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र की भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय राजमार्गों

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

पर यात्रा को पूर्णतया सुरक्षित बनाने हेतु "हरियाणा हाईवे पैट्रोल" ने लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) और नैशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित मामले तत्काल कार्यवाही हेतु उठाए हैं :-

— ले बाईज की प्राप्ति ।

— अनियमित कट को बन्द करना ।

— सड़क पर रिफ्लैक्टर लगाना।

— मध्यवर्ती मार्ग पर पौधारोपण।

— नैशनल हाईवे में मिलने वाले पहुंचायक मार्ग पर गति अवरोधक बनाना।

— जहाँ आवश्यक हो सड़क के साथ फैन्सिंग करना।

— सड़कों पर उचित लेन मार्किंग ।

— गति सीमा निर्धारित करना।

16. हरियाणा हाईवे पैट्रोल एवं रोड सेफ्टी ने (दिनांक 1-2-2001 से 31-1-2002 तक) 78,272 वाहनों का चालान दुर्घटनाओं के कारणों के अध्ययन उपरान्त निम्नलिखित यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर किया है—

— गलत दिशा में चलने वाले वाहन

— गलत दिशा में पार्क किए वाहन

— तूड़े आदि के ट्रक

— लोहे की छड़ों वाले ट्रक

Promoting Sports in Police

860. Shri Ramesh Rana : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to promote Sports in the Police; if so, the details thereof; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government for the recruitment of the players in the Police for promoting the Sports in the Police ?

Chief Minister (Sh. Om Parkash Chautala) :

(a) Yes, sir. A proposal regarding grant of Rs. 31,000/-, Rs. 21,000/- and Rs. 11,000/- to winners of Gold, Silver and Bronze medals respectively

in individual events; and Rs. 1,00,000/- Rs. 50,000/- and Rs. 25,000/- to the team winning Gold Medal, Silver and Bronze medals respectively in Team Events in the All India Police Games, is under consideration of the State Govt.

(b) No, sir.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Allotment of Government Houses

63. Capt. Ajay Singh Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) criteria, if any, laid down for allotment of Government Houses of Type-I for Class-III employees in sector 39-B, Chandigarh ;

(b) seniority list of eligible Class-III employees for the allotment of said houses as on 1-1-95 & 1-1-2001; and

(c) list of employees alongwith their seniority serial number to whom the said houses have been allotted during the years 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 till date ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) सैक्टर-39 चण्डीगढ़ में निर्मित टाईप-I सरकारी आवासों के आबंटन का निम्न मानदण्ड निर्धारित है :—

प्रार्थी को आवासों का आबंटन 'हाउस अलाटमैंट कमेटी' द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूचि के आधार पर किया जाता है । कर्मचारी की वरिष्ठता उसकी पात्र श्रेणी में कुल सेवा अवधि के आधार पर निश्चित की जाती है।

माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1989 की सिविल रिट पैटीशन क्रमांक 15652 में दायर की गई 1991 की सी0एम0 क्रमांक 208 के अन्तर्गत दिनांक 4-2-91 को आदेश पारित किया तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को बिना बारी के मकान आबंटन के सरकार के अधिकार को मानते हुये निर्देश दिए :—

(अ) उन सरकारी कर्मचारियों की विधवाएं एंव पुत्रियाँ जिन्हें पति या पिता, जैसी भी स्थिति हो, को सरकारी सेवा अवधि में मृत्यु के कारण करूणामूलक आधार पर सरकारी सेवा में लिया गया है।

(ब) सरकारी सेवा में नियुक्त वे महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा एंव आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर सरकारी आवास की आवश्यकता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

(स) सुरक्षा कारणों तथा चिकित्सा पर।

तदानुसार 'हाऊस अलाटमैंट कमेटी' द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्ध मकानों का निम्न प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया था :—

1.	करूणामूलक आधार पर	10 प्रतिशत
2.	चिकित्सा आधार पर	10 प्रतिशत
3.	सुरक्षा कारणों से	5 प्रतिशत
4.	सामान्य श्रेणी	75 प्रतिशत

(ख) 1-1-95 को पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचि अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि 1-1-96 से लागू संशोधित वेतनमान तथा 1-1-2000 को मूलवेतन के अनुसार जो आवेदन पत्र 30 अगस्त तक प्राप्त हुये थे उनके आधार पर नई सूचि तैयार की जा चुकी है।

(ग) वांछित सूचना संलग्न है।

सूचना

श्रेणी -III के उन कर्मचारियों की सूचि जिन्हें सैक्टर-39, बी चण्डीगढ़ में टाईप-I के आवास वर्ष 1995 से आज तक आबंटन किये गये हैं।

क्र० स०	वरिष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम
1	2	3
वर्ष 1995		
करूणामूलक आधार		**सर्वश्री**
1.	2	नीरू बाला, स्टैनो, हरियाणा सिविल सचिवालय
2.	3	राजेन्द्र कौर, टाईपिस्ट, हरियाणा लो० निर्माण विभाग,
3.	4	ऊर्मला देवी, लिपिक, सामाजिक सुरक्षा एंव रक्षा विभाग।
4.	5	मधु बाला, टरेसर, सिंचाई विभाग ।
5.	6	ऊषा रानी, क्लर्क, सिंचाई विभाग।
6.	8	सरिता कुमारी, क्लर्क, सिंचाई विभाग।
7.	9	बलविन्द्र कौर, क्लर्क, जन स्वास्थ्य विभाग।
8.	10	संगीता देवी, क्लर्क, हरियाणा सिविल सचिवालय।

1	2	3
एक श्रेणी निम्न		
9.	1	मधु बाला, लेखा क्लर्क, सिंचाई विभाग ।
10.	4	प्रेम चन्द, प्रारूपकार, लो० नि० वि०, भ० तथा स० शाखा,
11.	5	संसारी लाल, सहायक, सी० आई० डी० विभाग
12.	6	गोपाल बल्लभ, लेखा लिपिक, सिंचाई विभाग।
13.	7	गुरनाम सिंह, लेखाकार, हरियाणा होस्पिटिलटी विभाग।
14.	8	प्रभु राम दावला, सहायक, उच्चतर शिक्षा विभाग।
15.	9	अशोक कुमार नायर, सहायक प्रारूपकार, लो० नि० वि०,
16.	10.	हंस राज, स्टैनो, सिंचाई विभाग।
17.	11	धुप सिंह भंडारी, कम्पोजिटर, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग।
18.	12	वी० के० वालिया, सहायक प्रारूपकार, हरियाणआ लो० नि० वि०।
19.	13	सतवीर रंगा, सहायक प्रारूपकार, हरियाणा लो० नि० वि०।
20.	14	महाबीर शर्मा, सहायक, प्रारूपकार, लो० नि० वि०।
सामान्य श्रेणी		
21.	3	बक्शी राम, रेस्टोरर, लो० नि० वि०।
22.	4	बाबू राम, कलर्क, होम गार्ड विभाग।
23.	5	नगीन्द्र प्रसाद, फोरमैन,मछली विभाग।
24.	8	गोवर्धन सिंह, मशीन ओपरेटर, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
25.	9	देव राज, क्लर्क, जेल विभाग।
26.	11	सोहन सिंह, क्लर्क, कार्यालय आर०सी०एस०
27.	12	जगवीर सिंह, एल ए, ऊद्योग विभाग।
28.	13	बलवन्त सिंह, क्लर्क, लो०नि०वि० ।
29.	16	सतवीर सिंह, सहायक, रिहैविलीटेशन विभाग।
30.	17	छोटू राम, रेस्टोरर, सिविल सचिवालय ।
31.	20	सुरवीर सिंह नेगी, क्लर्क हरियाणा सिविल सचिवालय।
32.	22	हरी सिंह, क्लर्क, कृषि विभाग।
33.	23	नरेन्द्र नाथ, आपरेटर, पाठ्य पुस्तक प्रैस ।
34.	24	सुखदेव सिंह, मशीन मैन, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।

1	2	3
35.	29	आत्म प्रकाश, मशीन मैन, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
36.	30	गुलाब सलवीर, मशीन आपरेटर, पाठ्य पुस्तक प्रैस।
37.	32	अनूप कुमार, क्लर्क, जेल विभाग।
38.	34	राम पाल, क्लर्क, लो0 नि0 वि0 ।
39.	35	सतनाम सिंह, फिटर, हरि0 रोडवेज।
40.	38	मंगल राम, मशीन मैन,सरकारी प्रैस।
41.	43	महेन्द्र सिंह, मशीन आपरेटर, पाठ्य पुस्तक प्रैस।
42.	44	विनोद कुमार, बाईडंर, प्रिंटिग एंव स्टेशनरी।
43.	47	यशपाल मशीन, आपरेटर, पाठ्य पुस्तक प्रैस।
44.	48	कंवर सिंह मशीन आपरेटर, पाठ्य पुस्तक प्रैस।
45.	50	गोपी राम बाईंडर, पाठ्य पुस्तक प्रैस।
46.	51	रणजीत सिंह, एस0 ओ0, रिहेबिलीटेशन विभाग।
47.	52	चंदन सिंह, क्लर्क, लोक सम्पर्क विभाग।
48.	53	हरनेक सिंह कम्पोजिटर, प्रिंटिग एंव स्टेशनरी।
49.	54	महीपाल, क्लर्क, सी0 आई0 डी0 विभाग।
50.	55	श्रीचन्द, क्लर्क, कार्यालय ए0 जी0 हरियाणा।
चिकित्सा आधार पर		
51.	20	महेन्द्र सिंह, क्लर्क, सिविल सचिवालय।
52.	39	बलवान सिंह, वैलडर, स्वास्थ्य विभाग।
53.	56	अशोक कुमार, क्लर्क, एस0 एण्ड0 टी0 विभाग।
54.	66	महेन्द्र कौर, क्लर्क, स्वास्थ्य विभाग।
55.	81	राम फल, क्लर्क, लो0 नि0 वि0, ।
वर्ष 1996		
सामान्य श्रेणी		
1.	2	धर्म सिंह, दफ्तरी, कार्यालय एफ0 सी0 आर0 ।
2.	45	राम चन्द्र, मशीन आपरेटर, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
3.	58	आनन्द मणी, पैकर, लोक सम्पर्क विभाग।

1	2	3
4.	63	त्रिलोक सिंह, क्लर्क, हरियाणा विधान सभा।
5.	64	ओम प्रकाश, कम्पोजिटर, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
6.	65	भगत सिंह, क्लर्क, कृषि विभाग।
7.	68	उमेहर सिंह, क्लर्क, लो० नि० वि० ।
8.	70	चेतन दास, क्लर्क, खाद्य एवं पूर्ति विभाग।
9.	71	सूरज भान, क्लर्क, -सम-
10.	76	सरदारा राम, क्लर्क, लो० नि० वि० ।
11.	77	सैमयूल सफीक, मशीन मैन, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
12.	80	बन्ता राम, क्लर्क, उच्चतर शिक्षा विभाग।
13.	81	विष्णु भगवान, फैरो प्रिन्टर, कृषि विभाग।
14.	85	दिलबाग राय, क्लर्क, उच्चतर शिक्षा विभाग।
15.	86	मोहेन्द्र सिंह, एस० डी० सी०, लो० नि० वि० ।
16.	91	जगदीश चन्द्र, मशीन मैन, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
17.	93	राजकुमार, सहायक, एक्साईज एंव टैक्सेशन विभाग।
18.	94	खुशाल सिंह, मशीन आपरेटर, पाठ्य पुस्तक प्रैस।
19.	100	विष्णु सिंह, क्लर्क, एस० सी०/बी० सी० विभाग।
20.	102	कली राम, मशीन आपरेटर, पाठ्य पुस्तक प्रैस।
21.	103	ज्ञान चन्द, मशीन मैन, सरकारी प्रैस।
22.	104	शिव दत्त, मशीन मैन, सरकारी प्रैस।
23.	107	सुमेर चन्द, मशीन आपरेटर, पाठ्य पुस्तक प्रैस।
सुरक्षा कारणों से		
24.	1	नरेश कुमार, हैड कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस।
वर्ष 1997		
सामान्य श्रेणी		
1.	112	अलीजान, मशीन आपरेटर, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
2.	115	आत्म राम, बाईडंर, -सम-
3.	116	बीरबल, इंडियन कुक, होस्पिटीलिटी विभाग।
4.	120	राजेन्द्र कुमार, क्लर्क, जन स्वास्थ्य विभाग।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3
5.	121	कशमीरी लाल सैनी, जन स्वास्थ्य विभाग।
6.	122.	रूप चन्द, क्लर्क, उच्चतर शिक्षा विभाग।
7.	125	ओंकार चन्द, सहायक, लो०नि० वि०।
8.	126	जय पाल सिंह, क्लर्क, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
9.	129	वेद प्रकाश, क्लर्क, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
10.	130	ओम पाल सिंह, आडिटर, खाद्य एंव पूर्ति विभाग।
11.	135	किशोरी लाल, हलवाई, होस्पिटीलीटी विभाग।
12.	141	पितम्बर सिंह, आडिटर, खाद्य एंव पूर्ति विभाग।
13.	145	धर्म सिंह, सहायक, आयुर्वेदा विभाग।
14.	136	जीवन लाल, लैण्ड रिकार्ड विभाग।
एक श्रेणी निम्न		
15.	3	शादी लाल, कैशियर, कार्यालय टैलीकोमनीकेशन विभाग।
करूणामूलक आधार पर		
16.	1	श्रीमति कमलेश कुमारी, क्लर्क, कार्यालय लेबर कमीश्नर।
वर्ष 1998		
सामान्य श्रेणी		
1.	1	सुरजीत सिंह, हवलदार, सी० आई० डी०।
2.	2	दलीप सिंह, ड्राईवर, लोक सम्पर्क विभाग।
3.	4	वेद प्रकाश, एस० आई०, हरियाणा रोडवेज।
4.	6	भुपेन्द्र पाल शर्मा, क्लर्क, जेल विभाग।
5.	7	हरबंस लाल सैणी, क्लर्क, हरियाणा रोडवेज।
6.	8	कुलवन्त सिंह सहायक, सी० आई० डी० विभाग।
7.	9	ओम प्रकाश यादव, मैनस्टर, हरियाणा रोडवेज।
8.	10	बलदीर सिंह, प्रारूपकार, सॉयल कन्जरवेशन।
9.	13	राम किशन, सहायक, सप्लाई एंव डिस्पोजल विभाग।
10.	14	सतदेव कपूर, लेखा क्लर्क, सिंचाई विभाग।

1	2	3
11.	17	धर्म चन्द, ड्राईवर, आबकारी एंव कराधान।
12.	21	सुभाष चन्द्र, कम्पयूटर आपरेटर, सरकारी प्रैस।
13.	22	हरी किशन हुड्डा, क्लर्क, परिवहन विभाग।
14.	25	दलजीत सिंह, एस० आई०, हरियाणा रोडवेज।
15.	28	चन्दर कुमार, सहायक, माईन एंव जियोलोजी विभाग।
16.	29	ओम प्रकाश, सहायक, कार्यालय आर० सी० एस०।
17.	31	मैटाफर, सहायक, स्थानीय निकाय।
18.	33	महेन्द्र कुमार, क्लर्क, लो० नि० वि०।
19.	34	सुरेन्द्र कुमार सक्सेना, हरियाणा सिविल सचिवालय।
20.	36	प्रेम सिंह, ड्राईवर, आबकारी एंव कराधान।
21.	38	सुरजा राम, हैड क्लर्क, कार्यालय जिला न्यायावादी पंचकूला।
22.	39	त्रिपता धवन, कृषि विभाग।
23.	42	ब्रिज मोहन चावला, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
24.	43	किशन चन्द, सहायक, कार्यालय आर० सी० एस०।
25.	44	सुरेश कुमार गोयल, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
26.	46	सोमदास अतरी, पी० ए०, कृषि विभाग।
27.	47	जगदीश चन्द्र, सहायक, टी० एण्ड ए० विभाग।
28.	48	शाम लाल चन्देल, सहायक, उद्योग विभाग।
29.	51	सुकरमा, क्लर्क, सिंचाई विभाग।
30.	54	रणजीत सिंह, परिधालक, हरियाणा रोड़वेज।
31.	56	देवी दयाल, सहायक, सिंचाई विभाग।
32.	57	सुभाष चन्द्र, सहायक, बागवानी।
33.	58	लक्ष्मण दास, एस० आई०, कार्यलय, आर० सी० एस०।
34.	62	मनिक लाल, सिनियर मैकेनिक, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी।
35.	63	दवेन्द्र सिंह, सहायक, सिंचाई विभाग।
36.	64	शाद लाल सिंगला, सहायक कान्डी प्रोजेक्ट।
37.	65	अशोक कुमार जग्गी, एस० ए० सी०, सिंचाई विभाग।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3
वर्ष 1999		
सामान्य श्रेणी		
1.	66	जसवन्त सिंह, सुपरकास्टर, सरकारी प्रैस।
2.	68	प्रीतम चन्द, सहायक प्रारूपकार, जन स्वास्थ्य विभाग।
3.	69	सिरी भगवान, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
4.	71	मनोरंजन कुमार, सहायक, इन्वायरमैंट विभाग।
5.	72	कुलदीप सिंह, एस० डी० सी०, सिंचाई विभाग।
6.	74	सुखबीर सिंह, एस० आई०, सी० आई० डी० ।
7.	76	राजेन्द्र प्रशाद, सहायक, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
8.	81	हरदेव सिंह, परिचालक, हरियाणा रोडवेज।
9.	82	ओम प्रकाश, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
10.	84	श्रीमति निशा, सहायक, पशु पालन विभाग।
11.	85	हरदेवा, सहायक, जेल विभाग।
12.	88	रानी रंजना, एस० एस० एस०, लो० नि० वि० ।
13.	89	ईश्वर सिंह, ए० एस० आई०, पुलिस विभाग।
14.	90	सरोज प्रभा, सहायक, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
15.	91	कैलाश चन्द्र , सहायक, लैण्ड रिकार्ड।
16.	92	राम कुमार, क्लर्क, परिवहन विभाग।
17.	94	राजन, क्लर्क, रोडवेज।
18.	95	संतोष कुमारी, सहायक, सिविल सचिवालय।
19.	96	नरेश कुमार, सहायक, सरकारी प्रैस ।
20.	99	जगदीश चन्द्र, सहायक, टी० एण्ड ए० विभाग।
21.	100	मदन लाल, सहायक, कन्सोलीडेशन विभाग।
22.	103	इन्द्र कुमार, एस० एस० एस०, उद्योग विभाग।
23.	106	दर्शना देवी, क्लर्क, लो० नि० वि० ।
24.	107	सुरेश चन्द्र, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
25.	109	राजेन्द्र प्रशाद, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।

1	2	3
26.	110	बलवान सिंह, एस० आई०, हरियाणा रोड़वेज।
27.	111	शशि बाला, सहायक, एस० वी० बी० ।
28.	113	उमेद सिंह, सहायक, ग्रामीण विकास।
29.	114	मेवा सिंह, क्लर्क, जन स्वास्थ्य विभाग।
30.	115	राजेन्द्र कुमार दहिया, क्लर्क, जन स्वास्थ्य विभाग।
31.	116	जय पाल सिंह नेगी, प्रारूपकार, सिंचाई विभाग।
32.	117	रीता सूद, प्रारूपकार, सिंचाई विभाग।
33.	118	किरण सूद, क्लर्क, जन स्वास्थ्य विभाग।
34.	120	ओम प्रकाश अरोड़ा, सहायक, एस० एस० एस० बोर्ड ।
35.	125	देव राज, कैशियर, रोड़वेज।
36.	127	तारा चन्द कश्यप, सप्लाई एंड डिस्पोजल।
37.	133	बिमला रानी, सहायक, टी० एण्ड ए० विभाग।
38.	134	अमर सिंह चन्देल, अधीक्षक, एल० एण्ड आर० विभाग।
39.	135	गुरदेव सिंह, सहायक, जन स्वास्थ्य विभाग।
40.	138	राम सनेही, परिचालक, हरियाणा रोड़वेज।
41.	139	केवल सिंह दहिया, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
42	142	महेन्द्र सिंह, सहायक, उद्योग विभाग।
सामान्य श्रेणी		
वर्ष 2000		
1.	143	रवेल सिंह, सहायक, जन स्वास्थ्य विभाग।
2.	144	शंकुन्तला देवी, सहायक, पशु पालन विभाग।
3.	145	भगवान दास, सहायक, टूरिज्म विभाग।
4.	147	महावीर सिंह, हवलदार, सी० आई० डी० ।
5.	148	जीत सिंह, सहायक, एस० एस० एस० बोर्ड।
6.	151	रत्न सिंह ड्राईवर, हरियाणा रोडवेज।
7.	152	जगतार सिंह, क्लर्क, हरियाणा रोडवेज।
8.	155	कृष्ण लाल, सहायक, सिंचाई विभाग।
9.	159	संतोष सिंह, ड्राईवर, खेल विभाग।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3
10.	167	हरजीत कौर, सहायक, लो० नि० वि० ।
11.	164	प्रताप चन्द, जूनियर स्केल स्टैनो, हरियाणा सिविल सचिवालय।
12.	173	ऊषा ग्रोवर, सहायक, सप्लाई एंव डिस्पोजल विभाग।
13.	174	प्रदीप कुमार, सहायक, सिविल सचिवालय।
14.	175	पन्ना लाल, कम्पयूटर आपरेटर, पाठ्य पुस्तक प्रैस।
15.	175-ए	शिव प्रशाद शर्मा, सहायक, कृषि विभाग।
16.	176	मीनाक्षी देवी, सहायक, आई० टी० आई० ।
17.	178	शिव प्रशाद सैनी, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
18.	184	केवल किशन बक्शी, सहायक, पशु पालन।
19.	186	कुलवन्त कौर, एल० टी०, ऐनालिस्ट।
20.	187	रघबीर सिंह, सहायक, कृषि विभाग।
21.	189	जय सिंह दहिया, पी० आर० ओ०, ई० एस० ए० विभाग।
22.	200	करम कौर, ट्रैसर, सिंचाई विभाग।
23.	205	अरविन्द कुमार, ट्रैसर, लो० नि० वि० ।
24.	206	हर-गोपाल गोयल, सहायक, उच्चतर शिक्षा विभाग।
25.	208	सुषमा नन्द, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
26.	209	सतवीर सिंह, एच० सी०, एस० वी० बी० ।
27.	210	देवकी नन्दन, इम्पोजिटर, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
28.	211	ईश्वर शर्मा, सहायक, श्रम विभाग।
29.	212	जसवन्त सिंह, ड्राईवर, होम गार्ड।
30.	213	अनीता रानी, सहायक, टी० एण्ड ए०।
31.	214	सुदेश कुमारी, सहायक, -सम-
32.	221	दिनेश कुमार, कम्पोजिटर, सरकारी प्रैस।
33.	223	बलवान सिंह, एस० ए०, कृषि विभाग।
34.	224	मंगत राम, कम्पोजिटर, सरकारी प्रैस।
35.	225	ऊषा बजाज, स्टैनो टाईपिस्ट, पब्लिक ऐनालिस्ट।
36.	226	सुशील कुमार सैणी, सहायक, बक बन्दी विभाग।

1	2	3
37.	227	इन्द्रजीत शर्मा, कम्पोजिटर, सरकारी प्रैस।
38.	229	भाग सिंह, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय ।
39.	230	सतीश चन्द्र, सहायक, विधान सभा।
40.	231	पूर्ण चन्द, कम्पोजिटर, सरकारी प्रैस।
41.	233	ध्यान सिंह, ड्राईवर, आबकारी एंव कराधान।
42.	235	जगतार सिंह, ए० एस० आई०, हरियाणा पुलिस।
43.	236	अमर चन्द, कम्पोजिटर, सरकारी प्रैस, पंचकूला।
44.	237	ओम प्रकाश शर्मा, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
45.	239	बलवीर सिंह, सहायक, सिविल सचिवालय।
46.	240	सुरजभान, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
47.	242	बन्ता सिंह, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय।
48.	244	राम पाल सिंह, सहायक, -सम-
49.	245	ओम प्रकाश सैनी,सहायक -सम-
50.	248	भुपेन्द्र सिंह, सहायक, -सम-
51.	249	नागरमल, सहायक, -सम-
वर्ष 2001		
चिकित्सा आधार पर		
1.	3	दर्शन सिंह, स्टैनो, कार्यालय एफ० सी० आर०।
2.	8	सुभाष चन्द्र, परिचालक, हरियाणा रोडवेज।
एक निम्न श्रेणी		
3.	1	राज पाल नैन, सहायक, एस० सी०/ बी० सी०/
4.	2	दलबीर सिंह, सहायक प्रारूपकार, लो० नि० वि० ।
5.	3	अमर लाल नैन, ई० एस० ए० विभाग।
6.	4	ज्ञानी राम, सहायक, एस० सी०/ बी० सी०
7.	5	विजेन्द्र सिंह, एस० ए०, रोजगार विभाग।
8.	6	उमेद सिंह, एस० ए०, ई० एस० ए० विभाग।
9.	7	भारत भूषण, इलैक्ट्रिशियन, लो० नि० वि०।
10.	8	रणधीर सिंह, एस० ए०, बागवानी।
11.	9	राम निवास, सहायक, सी० आई० डी०।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3
12.	10	करतार चन्द, सिपाही, सी० आई० डी०।
13.	11	कंवल सिंह, सहायक, पुलिस विभाग।
सामान्य श्रेणी		
14.	1	इन्द्र सिंह, क्लर्क, एफ० सी० आर०।
15.	2	सुन्दर लाल, परिचालक, हरियाणा रोडवेज।
16.	3	चन्द्र प्रभा, क्लर्क, कार्यालय चीफ ब्यॉलर।
17.	4	प्रेम सिंह, क्लर्क, चक बन्दी ।
18.	5	विजय कुमार, मशीन मैन, ई० एस० ए० विभाग।
19.	6	दिनेश प्रशाद, कम्पोजिटर, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
20.	7	इन्द्रजीत शर्मा, कम्पोजिटर, प्रिंटिंग एंव स्टेशनरी विभाग।
21.	8	राज रानी ठुकराल, क्लर्क, सिंचाई विभाग।
22.	9	प्रेम सिंह, परिचालक, हरियाणा रोडवेज।
23.	10	छोटू राम, पटवारी, टाऊन एंड कन्टरी प्लानिंग।
24.	11	तिलक राज, एच० सी० कार्यालय, एस० पी० टैलीक्म्यूनिकेशन।
25.	12	महावीर सिंह, एच० सी०, सी० आई० डी०।
26.	13	गोविन्द राम, ई० सी० जी०, टैक्नीशियन, सरकारी हस्पताल सै0-6 पंचकूला।
27.	14	औंकार नाथ, एच० सी०, कार्यालय, एस० पी० टैलीक्म्यूनिकेशन।
28.	15	ओम प्रकाश मेहला, क्लर्क, स्थानीय निकाय विभाग।
वर्ष 2002		
सामान्य श्रेणी		
1.	16	धर्म पाल, क्लर्क, हरियाणा रोडवेज।
2.	17	विनोद सालवान, रीडर, जिला अदालत पंचकूला।
3.	18	कमल, जे० एस० एस०, हरियाणा सिविल सचिवालय।
4.	19	राकेश चन्द्र, ट्रैसर, लो० नि० वि०।
5.	20	मनी राम, टैक्नीकल आपरेटर, कृषि विभाग।
6.	21	छाजू राम, डब्ल्यू एच० सी०, सरकारी प्रैस।
7.	22	हरपाल सिंह, बाईडर, सरकारी प्रैस।
8.	23	जय सिंह, बाईडर, सरकारी प्रैस।
9.	24	मलकीत सिंह, एच० सी०, कार्यालय एस० पी० टैलीक्म्यूनिकेशन।

Construction of Roads by HSAMB

64. **Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the blockwise details of new Roads, if any, constructed by the Haryana State Agricultural Marketing Board in the State during the years 1998-99, 1999-2000 and 2000-2001 till-date ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई नई सड़कों का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्मित लम्बाई (किलोमीटर में)
1998-99	302.91
1999-2000	126.13
2000-2001	1454.27
2001-2002 (31-1-2002 तक)	1270.68

ब्लाकवार ब्यौरा तैयार करने हेतु समय व श्रम की तुलना में इससे विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा।

Land of Wakf Board

65. **Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the districtwise total acreage of land belonging to Wakf Board are on lease at present togetherwith the names and addresses of the lessee;

(b) the criteria and the period for which the land referred to in part 'a' above has been given on lease ; and

(c) whether the land referred to in part 'a' above is presently under illegal possession, if so, the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : 12,000 से भी अधिक वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना का संग्रह अति वृहद तथा समय उपभोगी अभ्यास है। लिप्त समय तथा मेहनत संभावित लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

Setting Up of Power Stations

66. **Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up new Power Stations/Sub-Stations or upgrade the existing Power Stations/Sub-Stations in the Narnaul and Rewari circles during the current financial year 2001-2002; if so, the estimated cost thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान। वर्ष 2001-2002 के दौरान नारनौल परिचालन परिमंडल/जिसमें रेवाड़ी तथा महेन्द्रगढ़ जिले शामिल हैं में 35.33 करोड़ रूपए की

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

अनुमानित लागत से दस परियोजनाएं निर्माण तथा क्षमता वृद्धि के लिए ली जा रही है। प्रत्येक परियोजना का स्तर निम्न प्रकार से है—

क्र0 सं0	स्थल तथा वोल्टेज स्तर के साथ कार्य का नाम	स्थापित क्षमता एमवीए	अनुमानित लागत रुपये लाखों में	पूर्ण होने की अनुसूचि
1	2	3	4	5
1.	220 केवी उपकेन्द्र महेन्द्रगढ़ तथा सम्बन्धित लाईन	200	1868	2002-03
2.	132 केवी उप केन्द्र सतनाली तथा सम्बन्धित लाईन	16	537	2002-03
3.	132 केवी उपकेन्द्र मुंडिया खेड़ा तथा सम्बन्धित लाईन	16	462	2002-03
4.	33 केवी उपकेन्द्र डबलाना तथा सम्बन्धित लाईन	5	89	दिनांक 9-2-02 को चालू किया।
5.	33 केवी उपकेन्द्र बावनिया तथा सम्बन्धित लाईन	5	86	दिनांक 8-2-02 को चालू किया।
6.	33 केवी उपकेन्द्र ईदगाह तथा सम्बन्धित लाईन	6.3	100	2002-03
	योग (1) :—		**3142**	
2.	**क्षमता वृद्धि**			
1.	220 केवी उपकेन्द्र नारनौल	20	154	2002-03
2.	132 केवी उपकेन्द्र बडौली	16	177	2002-03
3.	33 केवी उपकेन्द्र दहीना	4	40	2002-03
4.	33 केवी उपकेन्द्र बाड़दा	1.3	20	2002-03
	योग (2)		391	
	कुल योग		**3533**	

Procurement of Wheat

78. Shri Sher Singh : Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) the total quantity of wheat procured by the various State Governemnt Agencies during the year 2001 together with the loss suffered by the Government on account of storing and handling the same ;

(b) total quantity of wheat/grains stored in open and porper sheds separately at present ; and

(c) total quantity of wheat/grains has become unfit for human consumption during the period referred to in part (a) above together with the steps taken or proposed to be taken to prevent the damage of wheat/grains in future ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) वर्ष 2001-02 में सभी सरकारी खरीद ऐजेंसियों ने भारतीय खाद्य निगम सहित 64.07 लाख टन गेहूं की खरीद की । इस गेहूं के भण्डारण एवं रख रखाव के कारण सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई।

(ख) उपरोक्त 64.07 लाख टन गेहूं में से दिनांक 15-2-2002 को सभी सरकारी ऐजेंसियों ने भारतीय खाद्य निगम सहित 35.13 लाख टन गेहूं खुले तथा 1.55 लाख टन गोदामों में पृथक-पृथक भंडार किया हुआ था।

(ग) ऊपर के भाग (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान 214 टन गेहूं हरियाणा भंडारण निगम का मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया हैं। भविष्य में गेहूं की क्षति को रोकने के लिए निरन्तर प्रदुमण/कीट नाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वे भंडारण में उपलब्ध गेहूं का तुरन्त उपयोग/प्रेषण करें।

Kanya Daan Scheme

82. Dr. Sita Ram : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the number of beneficiaries who have obtained the benefit under 'Kanya Daan Scheme' Since its introduction ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह) : श्री मान जी, कन्यादान स्कीम के तहत लामानुभोगियों की संख्या फरवरी, 2002 तक 8821 है।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा—

(i) चेयर पर्सन्ज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the

[Mr. Speaker]

following members to serve on the Panel of Chairpersons :—

1. Shri Bhagwan Sahai Rawat ;
2. Shri Rajinder Singh Bisla;
3. Shri Ajay Singh; and
4. Smt. Sarita Narain

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under Rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

1.	Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
2.	Shri Lila Krishan	Member
3.	Smt. Veena Chhibber,	Member
4.	Shri Rajinder Singh Bisla	Member
5.	Shri Zakir Hussain	Member

(ख) सचिव द्वारा—

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make annoucement.

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने नवम्बर, 2001 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

November Session, 2001

1. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2001.
2. The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 2001.
3. The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 2001.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

"The Committee met at 10.00 A.M. on Monday, the 4th March, 2002 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

On Monday, the 4th March, 2002, the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of business entered in the list of Business for the day.

The Committee further recommends that on Monday, the 11th March and Wednesday, the 13th March, 2002, the Assembly shall meet at 11.00 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of Business for the day.

The Committee after some discussion, also recommends that the business on 4th to 7th March, 2002; 11th March, 2002; 13th March, 2002 to 15th March, 2002 and 18th to 20th March, 2002 be transacted by the Sabha as under :—

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address on the 4th March, 2002.	1. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 2. Obituary References.
Tuesday, the 5th March, 2002 (9.30A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 3. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 4. Discussion on Governor's Address.
Wednesday, the 6th March, 2002 (9.30A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under rule-30. 3. Resumption of Discussion on Governor's Address.
Thursday, the 7th March, 2002 (9.30A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of Discussion on Governor's Address.
Friday, the 8th March, 2002	Holiday.
Saturday, the 9th March, 2002	Off Day.
Sunday, the 10th March, 2002	Holiday

[Mr. Speaker]

Monday, the 11th March, 2002 (11.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of Discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks. 3. Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 2001-2002 and the Report of the Estimates Committee thereon.
Tuesday, the 12th March, 2002	Holiday.
Wednesday, the 13th March, 2002 (11.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under rule-30. 3. Presentation of Budget Estimates for the year 2002-2003.
Thursday, the 14th March, 2002 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Reports of Assembly Committees. 3. General Discussion on Budget Estimates for the year 2002-2003.
Friday, the 15th March, 2002 (9.30 A.M.)	1. Question Hour. 2. Papers to be laid, if any. 3. Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2002-2003.
Saturday, the 16th March, 2002	Off Day.
Sunday, the 17th March, 2002	Holiday.
Monday, the 18th March, 2002 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under rule-121. 3. Presentation of Reports of Assembly Committees. 4. Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2002-2003.
Tuesday, 19th March, 2002 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Reply by the Finance Minister on Budget Estimates. 3. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2002-2003. 4. Legislative Business.

Wednesday, the 20th March, 2002
(9.30 A.M.)

1. Questions Hour.
2. Motion under rule-15 regarding Non-stop sitting .
3. Motion under rule-16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die*.
4. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
5. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 2001-2002.
6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2002-2003.
7. Legislative Business.
8. Any other Business."

चौधरी जय प्रकाश : ** **

कैप्टन अजय सिंह यादव : ** **

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं । शोर मत कीजिए। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) बैठ जाएं । ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सिर्फ 13 मैम्बर्ज ही सदन में उपस्थित थे इसलिए आपका स्पीकर को हटाने का जो मोशन था वह डिस्अलाउ हो गया है। (शोर एवं व्यवधान) आपका स्पीकर में विश्वास नहीं था इसलिए स्पीकर का फर्ज बनता है कि पहले उसी मामले को टेकअप किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं । (शोर एवं व्यवधान)

(इस वक्त सदन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी मैम्बर्ज, आर० पी० आई० पार्टी के कर्ण सिंह दलाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जगजीत सिंह सांगवान और एच० वी० पी० के राम किशन फौजी सदन की वैल में आकर नारे बाजी करने लगे।)

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move -

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved--

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Questions is —

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए /पुन: रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the table—

The Haryana Municipal (Second Amendment) Ordinance, 2001 (Haryana Ordinance No. 3 of 2001).

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I also beg to re-lay on the table —

The Power Department Notification No. S.O. 156/H.A. 10/98/Ss. 23. 24, 25 and 55/99, dated the 1st July, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reforms Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 186/H.A. 10/98/Ss. 23, 24 and 25/99, dated the 13th August, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reforms Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 213/H.A. 10/98/Ss. 23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th October, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reforms Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 235/H.A. 10/1998/Ss. 23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reforms Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 244/H.A. 10/98/Ss. 23, 24, 25 and 55/99, dated the 30th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reforms Act, 1997.

The Power Department Notificaton No. S.O. 73/H.A. 10/1998/Ss. 23, 24, 25 and 55/2000, dated the 14th June, 2000, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reforms Act, 1997.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 13/H.A. 20/73/S. 64/2001, dated the 22nd May, 2001 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2001 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 10/H.A. 20/73/S. 64/ 2001, dated the 4th April, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notificaton No. G.S.R. 71/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 19th October, 2000, regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notificaton No. S.O. 81/H.A. 20/73/S. 64/2001, dated the 14th June, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notificaton No. S.O. 151/H.A. 20/1973/S. 64/2001, dated the 1st October, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Sixth Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notificaton No. S.O. 158/H.A. 20/1973/S. 64/2001, dated the 15th October, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 161/H.A. 20/1973/S. 64/2001, dated the 15th October, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Seventh Amendment) Rules, 2001 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 16/ H.A. 9/79/S.8/2001, dated the 28th June 2001 regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Rules 2001, as required under Section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The General Administration Department Notification No. S.O 173/ H.A. 9/1979/S.8/2001, dated the 6th November, 2001 regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Rules 2001, as required under Section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

Sir, I further beg to lay on the Table—

The Home Department Notification No. S.O. 184/C.A. 25/1955/S. 8/ 2001, dated the 13th December, 2001 regarding the Haryana Hindu Marriage Registration Rules, 2001 as required under Section 8(3) of the Hindu Marriage Act, 1955.

[Prof. Sampat Singh]

The 27th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Ltd. for the year 2000-2001, as required under Section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 33rd Annual Report of the Haryana Ware Housing Corporation for the year 1999-2000, as required under Section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The 33rd Annual Report of the Haryana State Small Industries & Export Corporation Ltd. for the year 1999-2000, as required under Section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Statement of Accounts of the Housing Board Haryana for the year 1998-99, as required under Section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा/सभा का स्थगन

Mr. Speaker : Now discussion on the Governor's Address will take place. Shri Nishan Singh may move the motion.

सरदार निशान सिंह (टोहाना) : स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने चार मार्च को जो एड्रैस पढ़ा.....

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ***(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इनके पूरे मैम्बर्ज नहीं हैं तब भी इनका यह हाल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान) जो भी ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान) आपके नेता अपनी सीट पर चले गए हैं, आप भी अपनी सीट पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान) कर्ण सिंह दलाल, आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान) आपका ड्रामा बहुत हो लिया अब आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) किसी की कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए। चौधरी भजन लाल जी आप इनको समझाएं।

चौधरी भजन लाल : * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए। दलाल साहब बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) जब आपका मुझमें विश्वास ही नहीं था तो अब कोई और बिजनैस न करके यह कहा

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

गया कि सबसे पहले विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए तभी मुझे इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि विश्वास मत प्राप्त करना सबसे पहले अनिवार्य है । (शोर एवं व्यवधान) इसलिए सबसे पहले इस बिजनेस को टेकअप किया गया । (शोर एवं व्यवधान) ऐसा लगता है कि आप हाउस में नहीं आना चाहते हैं आप सभी बैठ जाइए । (शोर एवं व्यवधान) क्वैचन आवर शुरू ही नहीं किया गया था क्योंकि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था इसलिए मेरा पहला फर्ज यह बनता था कि मैं आप सभी सदस्यों का विश्वास प्राप्त करूं। इसलिये मैंने यह फैसला किया कि क्यों न पहले विश्वास प्राप्त कर लिया जाये । इसलिए सारा बिजनैस हटाकर यह बिजनैस लाया गया और यह सब हाउस की पूरी सहमति से और पूरे समर्थन से किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) बैठिये, बैठिये । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष द्वारा जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो स्पीकर का यह पहला दायित्व बनता है और कुर्सी का ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले उस अविश्वास प्रस्ताव को टेक अप किया जाये उसके बाद अगली कार्यवाई की जाये। आप सभी विपक्ष के सदस्यों का स्पीकर पर विश्वास ही नहीं (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर का अपना कर्त्तव्य निर्वहन करते हुए मेरे सामने कोई दूसरा चारा ही नहीं रह गया था इसलिए सबसे पहले दूसरे बिजनैस को छोड़कर अविश्वास प्रस्ताव को टेक अप किया गया क्योंकि आप लोगों का विश्वास प्राप्त करना मेरे लिए निहायत ही जरूरी था इसलिए पहले मैंने विश्वास प्राप्त किया है। बैठिये, बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाकर बैठिये मैं आपको निकालना नहीं चाहता, दो साल की परम्परा को तोड़ना नहीं चाहता कि इतने विरोध के बाद भी नहीं निकाल रहा हूं। मैं पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को मेनटेन रखना चाहता हूं और इसलिए हाउस की इच्छा से हाउस को चलाता हूं । बैठिये, बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

आप सभी अपनी-2 सीटों पर बैठें । तानाशाही नहीं प्रजातंत्र चलेगा और प्रजातंत्र ही चलता रहेगा । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आप सभी बैठें, तभी कोई बात हो सकेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए सबसे पहले यह अविश्वास प्रस्ताव टेक अप किया है। विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया और मैंने इसे फ्राख दिली से मंजूर किया क्योंकि कुर्सी को सुशोभित करना मेरा फर्ज बनता है। मेरा कर्त्तव्य बनता है कि मैं आप सबका विश्वास मत हासिल करके ही कार्यवाही चलाऊं। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप पहले रूल तो देखें।

श्री अध्यक्ष : मेरे लिए मोरैलिटी ही रूल है । It is written in the proviso of Rule 29 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly that :

> "Provided that such order of business shall not be varied on the day that business is set down for disposal unless the Speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variation."

तो मैंने आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले रखा। (शोर एवं व्यवधान) आपकी गिनती अब भी नहीं बनती। आप अपनी इज्जत बचाओ और अपनी-2 सीटों पर बैठ जाओ। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर का फर्ज बनता है कि सबसे पहले उस मामले को टेक-अप करे

[श्री अध्यक्ष]

जो स्वयं उसके खिलाफ हो । मैं आपकी इच्छाओं के विपरीत ज्यादा समय तक कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता था, इसलिए सबसे पहले मैंने यह मामला टेक-अप किया है। (शोर एवं व्यवधान) 10.00 बजे आप जरूरी संख्या जुटा नहीं पाये, जरूरी संख्या जुटाने में आप फेल हो गये इसलिए स्पीकर के खिलाफ आप जो अविश्वास प्रस्ताव लाये थे वह रद्द कर दिया गया । (शोर एवं व्यवधान) अब यहां हाउस की लॉबी में शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय,----

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय,----

श्री अध्यक्ष : मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार निशान सिंह : अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च को सदन के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग 46 तो क्या आप तो 23 मैम्बर भी नहीं हैं । आप तो केवल 13 नैम्बर ही हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : यह वाच एण्ड वार्ड का स्टाफ अन्दर कैसे आया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यहां पर क्यों खड़े हैं ? (शोर एवं व्यवधान) क्या यह रूल्ज में है कि आप यहां पर आकर खड़े हों । (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठिये।

आवाजें : वाच एण्ड वार्ड स्टाफ यहां पर क्यों है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप बोलें और अपने अपने हल्कों की बातें यहां पर कहें । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य डा0 रघुबीर सिंह कादयान ने Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly की किताब को फाड़कर फैंक दिया और लाईट बॉक्स को तोड़ दिया।

कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह यादव ने हरियाणा विधान सभा के सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की तथा Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly की किताब चेयर की तरफ फैंक दी।

इसी तरह कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री धर्मबीर सिंह ने हाउस में वैल की ओर भागते हुए लाईट बॉक्स को तोड़ दिया।

इसी तरह से नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान ने अनपार्लियामेंटरी और अनकाल्ड फॉर रिमार्कस हाउस में व्यक्त किए।

इसी तरह कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश बरवाला ने सदन की वैल में एक कुर्सी को खींचकर तथा उस पर बैठकर अपने आपको स्पीकर पोज किया।

इसी प्रकार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने श्री जयप्रकाश बरवाला को वहां पर कुर्सी लाने में मदद की तथा चेयर के खिलाफ अशोभनीय शब्द इस्तेमाल किये।)

श्री अध्यक्ष : अनीता जी आप अपनी सीट पर जाएं। सभी मैम्बर्ज जो वैल में खड़े हैं, वे अपनी अपनी सीटों पर जाएं । (शोर एवं व्यवधान) पीछा क्यों फेर लिया ? आप अपनी अपनी सीटों पर जाएं (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल और जय प्रकाश जी जो सदन की वैल में खड़े होकर बोल रहे हैं इनकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) इनके लिए डाक्टर का इन्तजाम करें। * * * * * * * (शोर एवं व्यवधान) इनकी तो आवाजें भी बैठ गई हैं। (शोर एवं व्यवधान) भूपिन्द्र सिंह जी आप अपनी सीट पर जाएं । क्या यही आपकी पार्टी का सदन में बात करने का तरीका है। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर जाएं, यह कोई मछली बाजार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान, [illegible] (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीर : * * * * *

श्री राम किशन फौजी : * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई बात भी रिकार्ड नहीं की जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मैं आप सबको बोलने का मौका देना चाहता हूं इसलिए आप अपनी सीटों पर चले जाएं । (शोर एवं व्यवधान) आप अभी भी 23 मैम्बर्ज नहीं है यह आपको भी पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह : * * * *

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी, आप अपने मैम्बर्ज को अपनी अपनी सीट पर बिठाएं । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * *

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : जो भी यह बोल रहे हैं वह बात रिकार्ड न की जाए। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग न बोलें । मैं चाहता हूं कि आप सब बोलें और गवर्नर ऐड्रस पर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * *

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, * * * ** * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी अपनी सीटों पर बैठें ।

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। मेरी बैल में आये सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें। वहां पर आप सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा । इसलिए पहले आप अपनी सीट पर जाकर बैठिये, बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय डॉ० रघुबीर सिंह कादयान ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली की बुक फाड़ कर हाउस में फेंक दी।) आप सभी की बात से सहमत होकर यह फैसला लिया गया है इसलिए आप सभी एक मिनट में अपनी सीटों पर जाकर बैठिये, बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हाउस को आधे घण्टे के लिए एडजर्न किया जाता है।

(The Sabha then adjourned at 10.32 A.M. and re-assembled at 11-02 A.M.)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा/सदस्यों को नेम करना/सदस्यों का निलम्बन

श्री अध्यक्ष : निशान सिंह जी, आप मोशन मूव करें । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य, रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान हाउस की वैल में आ गए नारे लगाने लगे और बोलने/बहस करने लगे ।)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य हाउस की वैल में आकर बोल रहे हैं, उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए । (शोर एवं व्यवधान) That matter has finished. Please take your seats now. (Interruptions)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आपने जो रिमूवल आफ स्पीकर का नोटिस दिया है उसको देने के बाद ऐज सून ऐज पोसिबल मेरा यह फर्ज बनता है कि इस मैटर को पहले टेक अप किया जाए और मैंने इसको पहले टेक अप किया । (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी -2 सीटों पर बैठें।

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी, जब आप यहां बैठते थे तो बिना बोले ही मैम्बर्ज को निकलवा देते थे। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता, सदन और स्पीकर जितना आपको टोलरेट कर रहे हैं उतना कभी किसी स्पीकर ने नहीं किया होगा। यह अपने आप में एक इतिहास है। आपके समय में तो कभी इस तरह हाउस एडजर्न नहीं हुआ होगा। (शोर एवं व्यवधान) हम कोई बदला नहीं लेना चाहते, हम तो प्रजातांत्रिक तरीके से सदन को चला रहे हैं। आपको कायदे-कानूनों का पता नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) पिछली बार मैं पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहा था लेकिन आपने अपना अविश्वास प्रस्ताव 4 बजे आकर दिया जब टाइम ओवर हो चुका था।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय * * * * * * * * *

सरदार निशान सिंह : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 4 मार्च को सदन में * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) यदि आपने अपना आचरण नहीं सुधारा तो मजबूरन आपको वार्न करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन मैं आपको बाहर निकालना नहीं चाहता।

आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप स्वयं ही बाहर चले जायें। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : * * * (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटस पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) हाउस की लॉबी में खड़े होकर सदस्य जो कुछ भी बोल रहे थे उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I warn Shri Jai Parkash Barwala. Jai Parkash ji, you please go to your seat. (Interruptions and noise)

Ch. Jai Parkash : Speaker Sir, ***** (Interruption)

(At this stage Shri Jai Parkash Barwala did not resume his seat and continued speaking)

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : I name Shri Jai Parkash Barwala. He may please leave the House. (Interruption).

Ch. Jai Parkash : Speaker Sir, **** (Interruption)

(At this stage Shri Jai Parkash Barwala continued raising slogans and arguing with the Speaker.)

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, ***** (Interruptions and noise)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. I warn Shri Karan Singh Dalal. Dalal Sahab, you please go to your seat.

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, ****** (Interruption)
(At this stage Shri Karan Singh Dalal continued raising slogans and arguing with the Speaker.)

Mr. Speaker : I name Shri Karan Singh Dalal. He may please leave the House. (Interruption)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, *** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। कैप्टन साहब जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, *** (शोर एवं व्यवधान)

(At this stage Capt. Ajay Singh Yadav continued raising slogans and arguing with the Speaker)

Mr. Speaker : I name Capt. Ajay Singh yadav. You may please leave the House. (Interruption)

Dr. Raghubir Singh Kadian : Speaker Sir, *****
(Interruptions and noise)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. I warn Dr. Raghubir Singh Kadian. You may please go to your seat.

Dr. Raghubir Singh Kadian : Speaker Sir, * * * * (Interruption)

(At this stage Dr. Raghubir Singh Kadian continued raising slogans and arguing with the Speaker.)

Mr. Speaker : I name Dr. Raghubir Singh Kadian. He may please leave the House. (Interruption)

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनिता जी प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। नहीं तो आपको भी नेम करना पड़ेगा । अनिता जी जो कुछ बोल रही हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Smt. Anita Yadav : Speaker Sir, ***** (Interruption)

(At this stage Smt. Anita Yadav continued raising slogans and arguing with the Speaker .)

Mr. Speaker : I name Smt. Anita Yadav. She may please leave the House. (Interruption)

Ch. Jagjit Singh : Speaker Sir, ***** (Interruptions and noise)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. I warn Shri Jagjit Singh Sangwan. You may please go to your seat.

Ch. Jagjit Singh : Speaker Sir, ******* (Interruption)

(At this stage Shri Jagjit Singh Sangwan continued raising slogans and arguing with the Speaker.)

Mr. Speaeker : I name Shri Jagjit Singh Sangwan. He may please leave the House. (Interruption)

Shri Dharmvir Singh : Speaker Sir,**** (Interruptions and noise)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. I warn Shri Dharamvir Singh. You please go to your seat.

Shri Dharamvir Singh : Speaker Sir, ***** (Interruption)

(At this stage Shri Dharamvir Singh continued raising slogans and arguing with the Speaker.)

Mr. Speaker : I name Shri Dharamvir Singh. He may please leave the House. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बुलवाना चाहता हूं । मैं आपको समय देना चाहता हूं इसलिए आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : आप हमें नेम करें। (शोर एवं व्यवधान) आप हम सभी को नेम करें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मार्शल आप जो सदस्य नेम किए हैं उन्हें वॉच एण्ड वार्ड की सहायता से सदन से बाहर ले जाएं ।

वित्त मन्त्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : जिसका बिहेव ठीक नहीं होगा उसको नेम किया जाएगा वैसे कैसे नेम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक मोशन मूव करना चाहता हूं। (शोर)

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the Motion regarding suspension of Shri Jai Parkash Barwala, Capt. Ajay Singh Yadav and Dr. Raghubir Singh Kadian.

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the Motion regarding suspension of Shri Jai Parkash Barwala, Capt. Ajay Singh Yadav and Dr. Raghubir Singh Kadian.

Mr. Speaker : Question is —

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the Motion regarding suspension of Shri Jai Parkash Barwala, Capt. Ajay Singh Yadav and Dr. Raghubir Singh Kadian.

The motion was carried.

(Noise and interruptions)

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I also beg to move—

That Shri Jai Parkash Barwala, Capt. Ajay Singh Yadav and Dr. Raghubir Singh Kadian be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the sittings of this week.

Mr. Speaker : Question is —

That Shri Jai Parkash Barwala, Capt. Ajay Singh Yadav and Dr. Raghubir Singh Kadian be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the sittings of this week.

Mr. Speaker : Question is —

That Shri Jai Parkash Barwala, Capt. Ajay Singh Yadav and Dr. Raghubir Singh Kadian be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the sittings of this week.

The motion was carried.

(Shri Jai Parkash Barwala continued raising slogans and did not withdraw from the House.)

(Noise and interruptions)

Mr. Speaker : Marshal take him out of the House.

(At this stage Sargeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward Staff took Shri Jai Parkash Barwala out of the House.)

(Noise and interruptions)

(Thereafter Capt. Ajay Singh Yadav and Dr. Raghubir Singh Kadian withdrew from the Houe.)

(Noise & Interruptions)

Finance Minister (Prof .Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the Motion regarding suspension of Shri Karan Singh Dalal, Smt. Anita Yadav, Shri Jagjit Singh Sangwan and Shri Dharamvir Singh.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the Motion regarding suspension of Shri Karan Singh Dalal, Smt. Anita Yadav, Shri Jagjit Singh Sangwan and Shri Dharamvir Singh.

Mr. Speaker : Question is —

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the Motion regarding suspension of Shri Karan Singh Dalal, Smt. Anita Yadav, Shri Jagjit Singh Sangwan and Shri Dharamvir Singh.

The motion was carried.

(Noise and interruptions)

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I also beg to move—

That Shri Karan Singh Dalal, Smt. Anita Yadav, Shri Jagjit Singh Sangwan and Shri Dharamvir Singh be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the sittings of this week.

Mr. Speaker : Motion moved —

That Shri Karan Singh Dalal, Smt. Anita Yadav, Shri Jagjit Singh Sangwan and Shri Dharamvir Singh be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the sittings of this week.

Mr. Speaker : Question is—

That Shri Karan Singh Dalal, Smt. Anita Yadav, Shri Jagjit Singh Sangwan and Shri Dharamvir Singh be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the sittings of this week.

The motion was carried.

[Mr. Speaker]

(At this stage Shri Karan Singh Dalal, Smt. Anita Yadav, Shri Jagjit Singh Sangwan and Shri Dharamvir Singh, withdrew from the House.)

(Noise and Interruptions)

Rao Narender Singh : Speaker Sir, ***** (Interruptions and noise)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded . I warn Rao Narender Singh. You may please go to your seat.

Rao Narender Singh : Speaker Sir, ****** (Interruptions)

(At this stage Rao Narender Singh continued raising slogans and arguing with the Speaker.)

Mr. Speaker : I name Rao Narender Singh. He may please leave the House.

(Interruptions)

(At this stage Rao Narender Singh withdrew from the House.)

(Noise and Interruption)

वाक-आउट

श्री अध्यक्ष : आप तो मेरी बहादुरी की दाद देते हो मैं तो आपके *** की दाद देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप अपनी सीटों पर जाएं ताकि सदन की कार्यवाही चल सके । आपके * * * * बाहर चले गये हैं आप समझदार लोग हैं इसलिए आप सब अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी मैं आपको बोलने का मौका देना चाहता हूं। आप अपनी सीट पर जाएं, कहीं आप भी बोलने का मौका मत खो देना । (शोर एवं व्यवधान) देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीस-म-रीस नहीं करते हैं इससे नुकसान हो जाता है। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप इन सबको इनकी सीटों पर ले जाएं ताकि सदन की कार्यवाही चल सके । (शोर एवं व्यवधान) आप क्यों ऐसा कर रहे हैं । आप ऐसा करके सदन की गरिमा को धब्बा न लगाएं। आप अपनी सीटों पर जाएं । (शोर एवं व्यवधान) आपके इस विशेष को हरियाणा के लोग, सारा सदन और प्रैस वाले भी देख रहे हैं। आपको जनता ने चुन कर भेजा है। आप उनकी बात यहां पर कहें। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं आपको बताऊं कि आपने जनता के बीच में फिर से जाना है और जनता आपको दोबारा से यहां पर आने का मौका नहीं देगी। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भजन लाल जी, आप इनको इनकी सीटों पर ले जाएं । (शोर एवं व्यवधान) आपका यह क्या तरीका है कि हमें भी सदन से बाहर निकाल दो। मैं तो आपको बोलने का मौका देना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं । (शोर एवं व्यवधान) क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको हाउस से निकालूं ? मैं यह नहीं चाहता कि आपको हाउस से निकाला जाए। इसलिए अब आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले तो इन्होंने * * * * * जय प्रकाश जी को हाउस से निकलवा दिया और अब ये इनसें किसी एक को और ऐसा करके हाउस से भागना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया अपनी सीटों पर बैठें । यह भी इतिहास बनेगा कि मैंने रिमूवल ऑफ दी स्पीकर वाले मामले को सबसे पहले टेकअप किया है। उस समय आप सारे लोग हाउस में प्रेजेंट ही नहीं थे । इसलिए अब आप अपनी सीटों पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, भजनलाल जी ने चन्द्र मोहन को कह दिया है कि वह खुद न बोले बल्कि बाकि सदस्यों को ही बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी अपनी सीटों पर बैठें । मैं या सदन के नेता और हाउस का कोई भी मैम्बर आपको सदन से बाहर निकालना नहीं चाहता। आप जो भी बोलना चाहते हैं वह अपनी सीटों पर जाकर बोलिये। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आप अपने आचरण को सुधारें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ****

Mr. Speaker : Nothing to be recorded.

चौधरी भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम ऐज ए प्रोटैस्ट वाक-आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदन में उपस्थित सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा/सदस्यों को नेम करना/सदस्यों का निलम्बन

(पुनरारम्भ)

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह :) अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में सत्तापक्ष की जहां जिम्मेदारी होती है वहां विपक्ष भी कोई कम जिम्मेदारी नहीं रखता । जब तक सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाते तब तक काम नहीं चल सकता। ये दोनों प्रजातंत्र के पहिए होते हैं इनके बिना प्रजातंत्र नहीं चलता। जहां तक सरकारी पक्ष का सवाल है बिना आपकी इजाजत के आज तक चाहे मिनिस्टर हों, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हों आपकी इजाजत के बिना नहीं बोले। किसी ने आपके हुक्म की उल्लंघना नहीं की है। हाउस ठीक चले उसके लिए आपको सत्तापक्ष का पूरा सहयोग मिला है और जहां तक टाइम का सवाल है आपने हमेशा विपक्ष को पूरा टाइम बोलने के लिए दिया है बल्कि टाइम की शिकायत सत्तापक्ष को रही है। एक बार मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे, जवाब देने के टाइम आपने उनको भी कंक्लूड करा दिया था और हाउस ऐडजर्न कर दिया था। सत्तापक्ष ने बड़ी फ्राखदिली से विपक्ष को अपने हिस्से का टाइम दिया है लेकिन अपोजीशन बुरी तरह से अपने कर्त्तव्यों में फेल रहा है। विधान सभा के अंदर और बाहर भी विपक्ष को पब्लिक की ग्रीवैंसिज उठानी चाहिएं। सरकार कोई गलत काम करे तो उसमें सुधार का अपोजीशन का फर्ज बनता है। विपक्ष का फर्ज है कि सत्तापक्ष की गल्तियों को उजागर करे। विधान सभा के सदस्य एक-एक लाख लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। जनता इनको इसलिए चुनकर भेजती है कि वे यहां आकर जनता की समस्याओं को व उनकी ग्रीवैंसिज को उठाएं। लेकिन जिस दिन से ये सदस्य बनकर आए हैं इनको सत्ता की कुर्सी सता रही है। यह कुर्सी इनको सपने में दिख रही है, इनको काट रही है, सत्ता के बिना ये लोग नहीं रहे हैं। इनको विपक्ष की भूमिका निभानी नहीं आती है।

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[प्रो० सम्पत सिंह]

इनको विपक्ष की भूमिका भी निभानी आनी चाहिए। कभी ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और मौके पर मौजूद नहीं होते हैं। कभी ये आपकी चेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और मौके पर मौजूद नहीं होते हैं। पिछली बार इन्होंने बाहर जाकर प्रेस को यह बयान दिया कि टैक्नीकली ग्राउंड पर प्रस्ताव गिरा दिया गया था। हां, प्रस्ताव गिरा था लेकिन कानूनी आधार पर गिरा था। क्लीयरकट हम लोगों ने कौल एंड शकधर जो बुक है उसका हवाला दिया। संविधान का हवाला दिया। अपनी जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की किताब है उसका हवाला दिया। क्लीयरकट 14 दिन चाहिये थे अगर छुट्टी का दिन है तो तीन बजे के टाइम के बाद नैक्सट ऑफिशियल डे माना जाएगा। नेक्सट ऑफिशियल डे छुट्टी है तो उससे अगला दिन माना जाएगा। ये तो 14 दिन के बजाय छह दिन भी पूरे नहीं कर रहे थे। बुक्स पढ़ते नहीं हैं, तैयारी करते नहीं हैं। मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि लीडर ऑफ दी ओपोजीशन इतने एक्सपीरियंसड हैं वे कितनी बार एम0 एल0ए0 बनकर आये हैं। इसी तरह से हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वैसे सीनियर मैम्बर हैं परन्तु विधानसभा में पहली बार चुनकर आये हैं लेकिन पार्टी प्रधान की जिम्मेवारी तो उन्हें भी निभानी चाहिये। चौधरी बंसीलाल जी बैठे हुए हैं बहुत सीनियर मैम्बर हैं। बहुत बार प्रदेश में अच्छे पदों पर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी अच्छे पदों पर रहे हैं इन सभी सदस्यों को कानून का पता है। इन सारी बातों को विपक्ष के लोग समझ नहीं रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेवारी क्या होती है। इनका जो अविश्वास का प्रस्ताव है वह गिर गया है स्पीकर सर, आपने सबसे पहले तो विपक्ष द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को टेक अप किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि उनकी जिम्मेवारी क्या होती है। जो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वे लाये थे वह गिर गया है। पहले भी लेकर आये थे तब भी गिर गया था और इस बार फिर लेकर आये वह फिर गिर गया। स्पीकर सर, आपने जो फ्राख दिली दिखाई है उससे फालतू फ्राख दिली और कोई नहीं दिखा सकता। उसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हाउस की कार्यवाही रोकने की कोशिश की, हाउस की मर्यादा भंग करने की कोशिश की, विधान सभा की मर्यादा को भंग करने की कोशिश की उसके बावजूद भी आपने किसी को नेम नहीं किया। आज तक किसी सदस्य को आपने वार्निंग तक नहीं दी। इन चीजों का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इनको इन बातों से सीखना चाहिये। इस बात का उन्होंने नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है। जिस तरीके से उन्होंने किया इससे फालतू निन्दा की बात और क्या हो सकती है। आज आपने ठीक किया, बड़े ओपन माईंड से, शायद ही किसी स्पीकर ने ऐसा किया हो, जिसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आये और उसके बाद विपक्ष को उस प्रस्ताव को एडमिट करवाने में पसीने आ जाते हैं। स्पीकर सर, आपको याद होगा कि जब हम और आप विपक्ष में बैठा करते थे तो उस समय चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री होते थे तब वे किसी की बात नहीं मानते थे। उस समय के सदन के नेता किसी की बात नहीं मानते थे। मैं जब लीडर ऑफ दि अपोजीशन होता था या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लीडर ऑफ दि ओपोजीशन होते थे तो वे हमें भी सस्पैंड कर दिया करते थे। चौधरी बीरपाल जी को हाउस के गेट पर देखते ही कहा जाता था कि बीरपाल जी आपको भी सस्पैंड किया जाता है। हाउस में बैठे भी नहीं थे कि उससे पहले ही उनको सस्पैंड कर दिया जाता था। आज वे मर्यादाओं की बात करते हैं, आज वे कानून की बात करते हैं और नियमों की बात करते हैं, इनको इन बातों को कहते हुये और सोचते हुये * * * * * इन बातों को कहते हुए

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

और सोचते हुए स्पीकर सर, आपने आते ही विपक्ष के सदस्यों द्वारा बोलने से पहले ही अपने खिलाफ आये अविश्वास प्रस्ताव को टेक अप किया और आपने विपक्ष के साथियों को इस बारे में कहने का मौका ही नहीं दिया। इनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ा, कोई पसीना नहीं बहाना पड़ा और कोई बोलना नहीं पड़ा। आपने प्राउड दिली से कहा कि अगर मेरे में विश्वास नहीं है तो चाहे क्वैश्चन आवर हो या चाहे और कोई भी आवर हो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, पहले मैं विश्वास मत प्राप्त करूंगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। ऐसा उदाहरण इतिहास में और कहीं नहीं मिलेगा। स्पीकर सर, आपने आते ही सुओमोटो खुद इनके नोटिस को लेकर सीधे यही कहा कि पहले मैं विश्वास मत प्राप्त करूंगा वरना मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हूं। मैं यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और जो इस अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में हैं वे खड़े हो जायें। स्पीकर सर, बड़े शर्म की बात है कि विधान सभा शुरू हो गई थी लेकिन उस प्रस्ताव पर साईन करने वाले मैम्बर भी हाजिर नहीं थे। मुझे नहीं मालूम कितने होने चाहिये थे। 23 खड़े होने चाहियें। विपक्ष के साथी चैम्बर में तो मौजूद थे लेकिन हाउस में केवल 13 मैम्बर हाजिर थे इसलिए इनकी 13वीं तो उसी समय हो गई थी। इनके लिए इससे कालतू गैरजिम्मेदाराना बात और क्या होगी। अगर ये सीरियस होते तो जो प्रस्ताव दें, जो मोशन दें या जो भी आपको लिखकर देते हैं तो उसके लिए इनको सीरियस होना चाहिये और उसके टाईम को देखना चाहिये। हाउस के टाईम के बारे में आपने कल ही बता दिया था। लेकिन जब आपने अविश्वास पर खड़े होने के लिए कहा तो सिर्फ 13 सदस्य ही उपस्थित थे। जो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुये थे वे अब कहते फिर रहे हैं कि इनके सीनियर मोस्ट सदस्य उस समय मौके पर उपस्थित नहीं थे। लीडर ऑफ दि अपोजिशन का काम है कि वे अपने मैम्बर्ज को सिखायें, पढ़ायें और उनकी क्लास लें। इसी तरह से पार्टी के प्रैजीडैंट का फर्ज बनता है कि वे भी अपने मैम्बर्ज को सिखायें और पढ़ायें। पहले खुद पढ़ें और फिर मैम्बर्ज को सिखायें और पढ़ायें। इनकी हालत तो यह है कि खुद ही नहीं पढ़ते तो दूसरे मैम्बर्ज को क्या सिखायेंगे। स्पीकर सर, यमुनानगर में इनको इतनी जबरदस्त मार पड़ी है कि ये अपने होश हवास ही भूल गये हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, और इनके दिमाग में पैरालाईजैज हो चुका है। मुझे तो लगता है कि पैरालाईजैज के कारण है कि ये कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और लिख-पढ़ कुछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों ने 2-3 कानूनी बातें उठाईं। इनको आपने बार-2 पढ़कर सुनाया और मैं भी विधान सभा की रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कंडैक्ट आफ बिजनैस की बुक में से ज्यादा लम्बी चौड़ी बात न करके के रूल 11(1) को ही पढ़कर बताऊंगा जिसमें लिखा है कि—

> "11(1) As soon as may be after the receipt of notice of a resolution to remove the Speaker or the Deputy Speaker from his office under Article 179 (c) of the Constitution, the Speaker shall read the notice to the Assembly and shall then request members who are in favour of leave being granted to move the resolution to rise in their places and if not less than 23 members rise accordingly, the Speaker shall allow the resolution to be moved".

अध्यक्ष महोदय, इस रूल में क्लीयरली ऐज सून ऐज लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि इस ऐज सून ऐज की डैफीनेशन को भी बदलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने आते ही कह दिया कि पहले अविश्वास प्रस्ताव को टेक अप किया जाए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता कि ये संविधान पढ़कर आएं, कौल एण्ड शकधर की बुक पढ़कर

[प्रो० सम्पत सिंह]

आए। कौल एण्ड शकधर की बुक "प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिजर आफ पार्लियामैंट" के पेज 384 पर साफ लिखा हुआ है कि—

> "In the exercise of his discretionary powers, the Speaker may also permit consideration of an item of business not included in the List of Business, giving due consideration to the wishes of the House and urgency of the Business to be transacted."

अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि जो आज का बिजनैस दिया हुआ है उसमें अविश्वास प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया है, इसमें से यह बिजनैस आपने कैसे चेंज कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह "प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामैंट" की बुक में दिया हुआ है और असैम्बली की बुक में भी दिया हुआ है कि मैटर की अरजैंसी को देखकर उसको चैंज कर सकते हैं यानि उसको एजैंडे में शामिल कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, यही आपने किया। इतना होने के बाद जब ये लोग बुरी तरह से फेल हो गए तो इनका फर्ज बनता था कि मुंह छिपाकर यहां से चले जाते लेकिन ऐसा करने की बजाय इन्होंने यहां शोर-शराबा किया और हाउस की गरिमा को बिगाड़ा। इससे ज्यादा इनके लिए निन्दनीय बात और क्या हो सकती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहूंगा कि हाउस की कार्यवाही ठीक तरह से चले। अध्यक्ष महोदय, आपने अपोजीशन को जिस तरह सहयोग दिया, जिस तरह बोलने का समय दिया, इससे बढ़िया मौका इनके पास और क्या हो सकता है । ये गवर्नर एड्रैस पर बोलते, जनता की बातों को यहां पर रखते और कोई ऐडवाइस देते। इन्होंने यह सब करने की बजाय हाउस का 2-3 घण्टे का समय बरबाद कर दिया।इस सैशन को चलाने में लाखों रूपये खर्च होते हैं ; मुश्किल से कोई सैशन आता है । अध्यक्ष महोदय, आपने देखा बी० ए० सी० की रिपोर्ट पेश हुई, इसके लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी उस मीटिंग में विपक्ष के नेता ने कहा कि सैशन 19 तारीख की बजाय एक दिन बढ़ाकर 20 तारीख तक कर दिया जाए और सैशन 20 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया । फिर इनको कहा गया कि आप और आगे तक सैशन बढ़वाना चाहते हैं तो इन्होंने कहा-नहीं। गवर्नर एड्रैस और बजट पर बोलने के लिए जितने दिन इन्होंने कहा उतने दिन दे दिए गए। यूनानीमिसली पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ कि अपोजीशन की तरफ से और सरकार की तरफ से बी० ए० सी० की रिपोर्ट पास हो गई हो और यूनानीमिसली तैयार हुई हो। यह अपने आप में एक मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, इतनी फ्राड दिली से यहां काम चल रहा था। ये शोशेबाजी करने वाले हैं, अखबारों में नाम छपवाने के लिए, अपशब्द और गाली गलौच में विश्वास रखने वाले इन लोगों का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस प्रकार की कार्यवाही के लिए इनकी निन्दा करता हूं और आपने जो फ्राड दिली दिखाई है उसके लिए आपकी सराहना करता हूं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सबमिशन करना चाहता हूं। मेरी सबमिशन यह है कि आपने आते ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को टेक अप किया और आपने जो लिस्ट ऑफ बिजनैस, मैंबर्ज को सरकूलेट की उसमें इसके बारे में कहीं नहीं लिखा। लिस्ट ऑफ बिजनैस में भी यह सरकूलेट होना चाहिये था कि आज प्रश्नकाल नहीं होगा और सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि रूल-11 के तहत इस मैटर को ईमीजियेटली टेकअप किया जा सकता है। इसमें जल्दी वाली कोई बात नहीं थी। यह नो कांफिडैंश मोशन आपके पास कई दिन से था ।

आपको इसे पहले ही लिस्ट ऑफ बिजनैस में डाल देना चाहिए था कि पहले यह टेकअप किया जायेगा ताकि जो हाजिर होने वाले थे वे हाजिर होते। यदि लिस्ट ऑफ बिजनैस के तुरंत बाद लेना था तो यह कल ही हाउस बैठते ही टेकअप करना चाहिए था। कल यह बात नहीं थी कि हाउस में बिजनैस नहीं हुआ और आपकी कानूनी कार्यवाही भी पूरी थी।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, कल हाउस में बिजनैस नहीं हुआ कल का जो बिजनैस था वह आज के लिए रख दिया गया था।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, कल जिस समय शोक प्रस्ताव पर डिस्कशन हुई उस समय इसे टेकअप करना चाहिए था । Obituary is also in the list of business. यदि इसे आज प्रश्नकाल से पहले ही लेना था तो इसे आज की लिस्ट ऑफ बिजनैस में सरकूलेट करना चाहिए था और यदि इसे आज की लिस्ट में सरकूलेट नहीं किया गया था तो यह कल टेकअप कर लेते । आपको अच्छी तरह मालूम है कि किसी भी हालत में यह पास तो होना नहीं था, आखिर में रद्द तो होना ही है। इस पर इतनी देर झगड़ा हुआ वह न होता इतनी देर में वोटिंग होकर यह रद्द हो जाता और सभी अपने घरों को चले जाते। यह जो हुआ चाहे आपकी टैक्नीकल मिस्टेक से हुआ हो, चाहे वैसे हुआ हो यह गलत हुआ है । अभी चौधरी संपत सिंह जी कह रहे थे कि विपक्ष को चाहिए कि वे अपने विचार सदन में रखें और सरकार को सुझाव दें। पिछली बार मैं यहां बोल रहा था और सरकार का क्रिटीसिज्म कर रहा था, हैल्थी क्रिटीसिज्म था तथा साथ में सुझाव भी दे रहा था लेकिन मुझे दो-तीन बार कंकलूड करने को कहा और 15 मिनट में मुझे बैठा दिया। मुझे अपनी पूरी बात नहीं कहने दी । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे आज प्रश्नकाल रद्द करके टेकअप क्यों किया गया, यह रद्द तो होना ही था इसलिए आप इस बारे अपने ऊपर बलोट क्यों ले रहे हैं, मुझे पता है यह रद्द होना है। इसे पहले लेकर आज बगैर बात से हाउस का एक-डेढ़ घंटा खराब हो गया है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी अरजैंसी, मोरैलटी और एज सून एज पोसीबल जैसी कई बातें थीं जिसके कारण अविश्वास प्रस्ताव को पहले टेकअप किया गया। लोग मुझे कहते हैं कि मैं कुर्सी पर क्यों बैठा हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं क्यों कुर्सी पर बैठूं जो मुझे हक नहीं है इसलिए मैंने इसे पहले टेकअप कर लिया।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, ये बहुत ही सीनियर मैंबर हैं। ये पार्लियामैंट में भी बहुत समय तक रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं लेकिन आज हाउस में ये स्वयं दूसरे विपक्ष के सदस्यों की तरह समय पर नहीं आये, ये तो बहुत सीनियर हैं इनको तो समय पर आना चाहिए था। चौधरी बंसी लाल जी अरजैंसी को देखते हुए स्पीकर साहब ने आते ही कह दिया कि मेरे पर विश्वास नहीं है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को पहले टेकअप किया जायेगा। पिछली बार चौधरी भजन लाल जी ने कहा था कि स्पीकर साहब आप उठकर चले जायें आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है लेकिन किसी के कहने से स्पीकर साहब नहीं जायेंगे क्योंकि स्पीकर हाउस ने चुना है। विधिवत तरीके से स्पीकर साहब को हटाया जायेगा और चौधरी बंसी लाल जी, इस बार विधिवत तरीके से स्पीकर साहब ने पहले अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को एडमिट किया है। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं चौधरी बंसी लाल जी को दोषी कहूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये मेरे से बहुत बड़े हैं लेकिन ये स्वयं

[प्रो० सम्पत सिंह]

भी हाउस में समय पर नहीं आये। पता नहीं इन्होंने रामकिशन जी को क्या कहा वे तो समय पर आ गये थे लेकिन ये नहीं आये, इनको स्वयं को भी समय पर आना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजनैस की बात है इस बारे में मैं चौधरी बंसी लाल जी को बताना चाहूंगा कि पार्लियामैंट का भी यह प्रोसीजर है कि मैटर ऑफ अरजैंसी को पहले टेकअप किया जा सकता है। इससे ज्यादा मैटर ऑफ अरजैंसी और क्या हो सकता है कि स्पीकर के खिलाफ बार-बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो । इसमें कोई टैक्नीकल गलती नहीं है, यह कानूनी बात है। यदि विपक्ष सरकार या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसे एक-एक मिनट और एक-एक क्षण का ध्यान रखना चाहिए, अपनी उपस्थिति का ध्यान रखना चाहिए लेकिन मेरे विपक्ष के भाई इस बारे में सीरियस नहीं हैं। हम जब भी कभी सरकार या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाते थे तो हम चाय का कप पीने के लिए भी बाहर नहीं जाते थे, यहीं बैंचिज पर बैठे रहते थे उसके बावजूद भी हमें हाउस से बाहर निकाल दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के भाई सीरियस तो रहते नहीं, इनका कभी एक मैंबर आ रहा है, कभी दो आ रहे हैं कभी चार आ रहे हैं। ये अपने अंदर एकता नहीं रखते । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भाईयों को अपनी गलती माननी चाहिए और चौधरी बंसी लाल जी से भी यही गलती हुई है इन्हें भी अपनी गलती माननी चाहिए। इनको अपनी गलती मानने में क्या दिक्कत हो रही है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि समय पर न आने के कारण मेरे से गलती हुई है तो गलती आपकी लिस्ट ऑफ बिजनैस बनाने में भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई सदस्य हाउस की वैल में जाकर या अपनी सीट पर खड़े होकर शोर मचाये तो मैं उसके खिलाफ हूं। किसी भी मैंबर को हाउस में शोर नहीं मचाना चाहिए। मैम्बर को जो बात कहनी हो वह कह देनी चाहिए और यदि कोई उसकी बात नहीं सुनता है तो उसे as a protest walkout कर जाना चाहिए । लेकिन हाउस में और वैल में शोर मचाने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। पार्लियामैंटरी प्रोसीजर में, पार्लियामैंटरी कन्वैन्शन में जिस पार्टी को या मैम्बर को एतराज हो तो वह वाक आऊट कर जाए, उसका प्रोटैस्ट दर्ज हो जायेगा।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, एक मुख्यमंत्री तो इस विधान सभा में ऐसा भी आया था जिन्होंने हम सब को थाने में बन्द करवा दिया था। हमने उस वक्त दो साल तक केस लड़ते थे। (विघ्न) वे मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी थे। इन्होंने 28 एम0एल0ए0 को जो थाना एम0एल0ए0 होस्टल के साथ है, उसमें अन्दर करवा दिया था।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : रामकिशन जी, यह तो सच्चाई है। इसमें बोलने की कोई बात नहीं है।

श्री रामकिशन फौजी : स्पीकर साहब, भिवानी में 150 लोग आज जेल में बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

श्री राम किशन फौजी : * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये ।

श्री राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने राजनैतिक जीवन में 1977 के अन्दर इस गरिमामय सदन का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने राजनीति में बहुत उतार-चढ़ाव देखें हैं लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए मेरी व्यक्तिगत भावनाओं को बहुत अधिक ठेस पहुंची है। इस दर्द के साथ मुझे यह व्यक्त करना पड़ता है कि कई साथियों को जिनमें हमारी बहन भी हैं वे सामने जिस सीट को, प्रदेश के फौरमर चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल जी सुशोभित करते हैं, बैठते हैं उस पर जूते सहित चढ़ जाना कोई शोभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की एक बड़ी भारी गरिमा सदन के अन्दर होती है। हमने अब तक बहुत गरिमामय स्पीकर देखे हैं। मैं आपकी फ्राखदिली, ब्रोड माईन्डिड विचारधारा की सराहना करते हुए यह विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हाउस की कार्यवाही का संचालन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन यदि इस तरीके से हमारे इस गरिमामय सदन में आज की तरह के सीन क्रिएट होते रहेंगे और इस प्रकार की हरकत करना या आपकी तरफ यानि चेयर की तरफ पीठ करना या जेसचर करना यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह इस सारे हाउस का एक प्रिवीलेज बनता है कि हम सब इसके संचालन में बराबर सहयोग दें। आपके इस बड़प्पन का, इस ब्रोडमाईन्डिडनैस का फायदा उठाते हुए कोई सदस्य मर्यादा से बाहर जाता है तो निश्चित रूप से सदन के जो रूल्ज हैं, सदन की जो परम्पराएं हैं या गरिमाएं हैं यदि वह उनको तोड़ता है तो ऐसे सदस्यों के खिलाफ सख्त कदम लेने चाहिएं। मैं समझता हूं कि हमारी जो पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी है इसमें आम आदमी का व सभी वर्गों का एक फेथ रहना चाहिए । सदन के नेता से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि यहां जो कुछ भी हो रहा है यानि सदन में जो हुआ है, मैं समझता हूं कि इसमें एक षडयंत्र की बू आती है। स्पीकर का पद बहुत गरिमा का पद होता है। आज आप इस सारे हाउस के कस्टोडियन हैं। आप सब के साथ न्याय करते हैं और रुलिंग पार्टी की अपेक्षा सभी विपक्ष के सम्मानित साथियों को बोलने का समय अधिक देते हैं और उनकी हर प्रकार से आप मदद करने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रकार का जो सीन यहां पर हुआ है उस बारे में मैं समझता हूं कि हम सभी सम्मानित साथियों को इसे कन्डैम करना चाहिए और भविष्य के लिए मैं यह आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का जो पोज करते हैं, चेयर की तरफ जो पीठ करके बैठते हैं या प्रैस में अपना सीन क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे एलीमैंन्ट्स के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने इस सारे मामले में पेशैन्स दिखाई। आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। आपने इस पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए जो पुरानी अनियमितताएं थीं उनको समाप्त करने का प्रयास किया। आपने स्पीकर के पद पर चुने जाते ही फौरन अपनी पार्टी से त्याग-पत्र दे दिया। कभी हम सुना करते थे कि स्पीकर नॉन पार्टीमैन होता है और आपने अपनी पार्टी से त्याग-पत्र दे कर प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित किया। आपने निरन्तर इस सदन को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया और किसी मैम्बर को शायद आपसे शिकायत नहीं होगी कि आपने उसको बोलने का अवसर नहीं दिया बल्कि एक-एक मामले पर आपने 2-2 मर्तबा मैम्बर को बुलाने का काम किया। यह बात अलग है कि विपक्ष के साथी सदन में अपनी बात कहने की बजाय बाथरूम में जा कर घुस जाते थे । चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि मुझे 15 मिनट का समय दिया गया है। अगर हाउस

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

की संख्या के हिसाब से आपके चुनाव चिन्ह को आधार मान कर देखा जाए तो आपको अपने चुनाव चिन्ह के मुताबिक ही समय मिला है। चौधरी साहब, इस सदन में आप तो केवल दो सदस्य ही हैं इसलिए यमुनानगर से तीसरे को नहीं आने दिया क्योंकि आप एमरजैंसी के हीरो रहे हैं। आप चाहते हैं कि दो से ज्यादा संख्या न बढ़े वरना आपकी सारी काटाबाढी समाप्त हो जाती और आपके खिलाफ एक लांछन लग जाता इसलिए आप अपने दायरे तक सीमित हैं और उसके आधार पर आपकी पार्टी का जो राजनैतिक वजूद था उसके आधार पर 15 मिनट का समय आपको मिला। मेरे पास सारा रिकार्ड है आपने तो विपक्ष के नेता को बोलने के लिए एक मिनट का समय नहीं दिया। स्पीकर साहब, मुझे हैरानी इस बात की है कि इस सदन में चौधरी बंसी लाल जी एक जिम्मेदार आदमी हैं और जो जिम्मेदारी से हाउस में बैठे हैं। जो गैर जिम्मेदार थे वे तो चले गये । चौधरी बंसी लाल जी, जो प्रस्ताव लाया गया उसको मैं पढ़ कर सुना देता हूं। आपने इनको एक साथ जोड़ तो दिया लेकिन अब आप हमारी भी बात सुन लें। (शोर एवं व्यवधान) आपने बिना पढ़े ही इस पर दस्तखत कर दिये हैं। स्पीकर साहब, यह प्रस्ताव मैं हाउस में पढ़ कर सुना देता हूं। इनकी तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव में उन्होंने साफ लफ्जों में खुल कर यह लिखा है कि हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले कर आए हैं जब तक आप विश्वास मत नहीं लेंगे आप दूसरी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इस पर स्वयं चौधरी बंसी लाल जी ने भी दस्तखत किए हैं। आपको पता है कि गवर्नर एड्रैस तो पढ़ा ही जाना था उसके बाद एक अप्रिय दुर्घटना घट गई और लोक सभा के माननीय स्पीकर साहब का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण ऑबिचुरी रैफरैंसिज को ज्यादा महत्व मिल गया। मेरे अनुरोध पर और हाउस के अनुरोध पर स्पीकर साहब ने उसके बाद सारी कार्यवाही को ऐडजर्न कर दिया। आज बैठते ही स्पीकर साहब ने इस पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए स्वयं यह कहा कि चूंकि मेरे प्रति कुछ साथियों को विश्वास नहीं है इसलिए जब तक सदन मुझ में विश्वास व्यक्त नहीं करता मैं इस पर सबसे पहले कार्यवाही करने का पक्षधर हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि बाकी का काम नहीं हो सकता । यह रूल की किताब सम्पत सिंह जी ने भी पढ़ कर सुनाई है और लोक सभा के जो सैक्रेट्री हैं मिस्टर सुभाष कश्यप उनकी किताब में यह साफ लिखा है। At page No. 384 of the "Practice and Procedure of Parliament " Dr. Subhash C. Kashyap, it is mentioned—

> "In exercise of the discretionary powers, the Speaker may also permit consideration of an item of business not included in the List of Business, giving due consideration to the wishes of the House and urgency of the business to be transacted".

अध्यक्ष महोदय, साफ लफ्जों में हर जगह लिखा है कि आपके पद की गरिमा को बिगाड़ने 12.00 बजे] के लिए स्वयं अध्यक्ष को चुनौतियां देते हैं। श्री राजेन्द्र सिंह जी ने भी कहा कि यहां पर वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। यहां तक कि एक मैम्बर पर किताबें फैंकी गई। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति अपशब्द कहे। चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि यह जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। चौधरी बंसी लाल जी आपको ध्यान नहीं रहा, आप 1970 में मुख्यमंत्री थे। उस वक्त आपकी सरकार के खिलाफ महंत गंगासागर और राव बीरेन्द्र सिंह ने, जिनका बेटा अभी सदन में मौजूद नहीं है परन्तु इस सदन का सदस्य है, उनके द्वारा आपकी सरकार के खिलाफ अविश्वास

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। At that time the notices of no-confidence motion were received. The two notices which were received on the 4th February and 6th February, 1970 were withdrawn by the members concerned. The third notice of no-confidence motion was received on the 27th February, 1970 from Shri Ganga Sagar Mahant and Rao Birender Singh, स्पीकर सर, वह मोशन मंजूर हो गया था, वह सदन में मान लिया गया था और उस वक्त की सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी ही थे। उस मोशन के एडमिट होने के बाद उस पर 3 मार्च को बहस करने की बजाए, the Speaker asked those members who were in favour of leave being granted to move the motion, to rise in their places. As not less than 18 members rose, the Speaker declared that the leave had been granted and fixed 3rd March, 1970, as the date for its discussion, उस पर बहस के लिए 3 मार्च की तारीख तय हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, मोशन मूव हो गया, उसको एडमिट कर लिया गया और उस पर बहस के लिए 3 मार्च की तारीख भी तय कर ली गई थी। उस समय चौधरी बंसी लाल की सरकार थी, उनकी सरकार के खिलाफ all the members staged a walk-out as a protest against the motion "that the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*". अध्यक्ष महोदय, अब इससे भी ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि मोशन मूव हो गया, उसको एडमिट कर लिया गया और उस पर डिस्कशन के लिए 3 मार्च की तारीख तय कर ली गई और इन्होंने उससे पहले ही हाउस को एडजर्न करवा दिया। बंसी लाल जी यह जो प्रक्रिया है यह आपकी 1970 की सरकार के वक्त की है। आपकी सरकार के वक्त में जो जो कारनामे हुए हैं उसके तो हम स्वयं भुगतभोगी हैं। आप आज गिला कर रहे है, आपने बिना देखे और बिना मोशन को पढ़े ही उस पर दस्तख्त कर दिए। इसमें चार प्वायंट हैं कि विधान सभा के अध्यक्ष महोदय विधान सभा के विपक्षी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ रहे। जून 2001 में विधान सभा अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मोशन पर गिनती के सम्बन्ध में कहते हुए कहा कि दोबारा गिनती नहीं की गई। बंसी लाल जी, उस वक्त भी आप यहां थे । आप यह बताएं कि क्या उस वक्त इनके पूरे मैम्बर्ज थे । इसमें यह भी लिखा है कि विपक्षी नेता श्री भजन लाल द्वारा विधान सभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर साहब ने गलत तरीके से निरस्त किया। बंसी लाल जी, आप उस वक्त भी हाउस में थे, आप यह बताएं कि क्या वह गलत तरीके से निरस्त किया गया था। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि 3 नवम्बर 2001 को पुलिस अधीक्षक जींद ने हरियाणा विधान सभा के 3 सदस्यों का अपमान किया था। ये मैम्बर्ज अभी यहां नहीं हैं अगर होते तो मैं तीनों से कहलवा देता कि क्या हुआ था। आज यहां पर सीटिंग अध्यक्ष महोदय, को अपमानित करने के लिए किसी ने कहा कि एक कोठी के मामले में आपका परिवार का नाम है। हालांकि यह मामला सब-ज्यूडिस है तो मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय का किसी भी एफ0 आई0 आर0 में नाम दर्ज नहीं है। बंसी लाल जी, ऐसे मामले में आपने बिना देखे, बिना पढ़े और बिना देखे नोटिस पर दस्तख्त कर दिए। चौधरी साहब, 21-11-1996 को आपकी सरकार के वक्त प्रो0 छत्तर सिंह चौहान बदकिस्मती से इस सदन के अध्यक्ष थे। उनके वक्त सासी की सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी गई थी, वे आपके इशारे का इंतजार करते थे और आपके इशारे पर विपक्ष के नेता को सदन से बाहर निकाल दिया जाता था। हरियाणा के अध्यक्ष के रूप में प्रो0 छत्तर सिंह का कार्य काल हरियाणा के इतिहास में एक काला अध्याय है। अध्यक्ष महोदय, आम विधायकों की बात तो छोड़िए उस वक्त मैं भी विरोधी पक्ष का नेता

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

था। मुझे भी इसी तरीके से हाउस से निकाल दिया था और इसी तरीके से जब सम्पल सिंह जी विपक्ष के नेता थे उनको भी हाउस से निकाल दिया गया था। जब 17-3-1997को हाउस में बजट पर चर्चा हो रही थी उस दौरान इनका किस तरह का व्यवहार रहा था । वे लोग जो आजकल इनके साथी नहीं हैं लेकिन उस समय इनके साथी हुआ करते थे वे जब चले गए लेकिन दस्तख्त में वे आज भी इनके साथ ही हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि इन्होंने उनके दस्तख्त के साथ अपने दस्तख्त कैसे कर दिए ? 18-3-1997, 22-7-1997 और 2-2-1999 यानी जब तक इनका राज रहा उस समय तक चाहे वह कोई भी सैशन रहा है, ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें किसी को बोलने की अनुमति प्रदान की गयी हो या इनके होते हुए किसी भी सैशन में कोई भी सदन से निष्कासित न किया गया हो और उस समय इनके द्वारा सारी परम्पराओं को पांव तले रौंदने का काम न किया गया हो। लेकिन हमारे ढाई साल के शासन में हमारे स्पीकर साहब ने किसी भी सैशन में किसी मैम्बर को नेम नहीं किया है। आज का सीन भी चौधरी बंसी लाल ने स्वयं अपनी ऑखों से देखा है। अगर इस प्रकार से स्पीकर के पद की गरिमाओं को बिगाड़ा जाएगा तो फिर जनतंत्र प्रक्रिया कैसे चल पाएगी इस किस्म के लोगों के लिए आज आप जानते बूझते कहते हैं कि इसने यह गलत तरीके से काम किया है जबकि मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमें स्पीकर साहब की पेशंस की दाद देनी होगी कि उन्होंने इतना कुछ बर्दाश्त किया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का माहौल आज इस सदन में पेश करने की कोशिश की गयी, जिस तरह का गंदा तरीका यहां पर अख्तियार किया गया तो उसको देखते हुए मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से और खास तौर से सदन से कहूंगा कि जिन लोगों ने सदन में इस पद की गरिमा को बिगाड़ने के लिए स्पीकर की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए और हाउस के सम्मानित सदस्यों के मुंह पर जहां किताबें फैंकी गयी हों उनके खिलाफ केवल सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए न केवल सदन से निष्कासित करने की बात हो बल्कि उनके खिलाफ प्रिवीलेज मोशन भी आना चाहिए और उनको नसीहत मिलनी चाहिए । अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जनतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। स्पीकर साहब, मैं इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्यों को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी परम्परा को बरकरार रखा। स्पीकर साहब, मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा जिस समय चौधरी बंसी लाल जी सदन को छोड़कर भाग गए थे उस वक्त जब स्पीकर श्री अशोक अरोड़ा जी बने थे तो उन्होंने भी उसी समय अपनी पार्टी सदस्यता से त्यागपत्र देकर एक नयी परम्परा एक नयी परिपाटी कायम की थी। आपने आज उस परम्परा को उस परिपाटी को बरकरार रखा है। आज आपने जो संयम बरता है जो आपने अनुशासन का सबूत दिया है और जितना कुछ आपने बर्दाश्त किया है उसके लिए पूरा सदन आपको बधाई देता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा और मैं खास तौर से सदन से भी अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आज इस प्रकार के लोगों ने सदन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, सदन का बहुमूल्य समय खराब करने की कोशिश की है क्या वह ठीक था ? उनके द्वारा हर सैशन में स्पीकर के खिलाफ मोशन लाने की कोशिश की गयी है और सारे कानून कायदे ताक पर रखने का प्रयास किया गया। कभी उनकी संख्या पूरी होती थी और कभी मोशन एडमिट होने के बाद भी वे भाग जाया करते थे। आज जिस तरह का अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ वे लेकर आए हैं ऐसा ही प्रस्ताव वे पिछली बार भी लेकर आए थे लेकिन पिछली बार वे फेल होकर गए हैं और आज भी वे अपने मैम्बर्ज को काबू नहीं कर सके और सदन में अपने मैम्बर्ज को हाजिर नहीं कर सके। इससे यह जाहिर होता है कि वह इस मामले में कतई

सीरियस नहीं हैं। वे तो केवल अखबारों की सुर्खियों में आने का प्रयास करना चाहते हैं इसलिए वे स्पीकर के पद को अपमानित करने के लिए किसी मुलाजिम की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने स्पीकर की तरफ पीठ कर ली और प्रैस गैलरी के सामने मुंह करके प्रैस को कहने लगे कि हमारे समाचार अखबारों में छापने की कोशिश करें, क्योंकि इन लोगों को आदत है वे केवल मात्र अखबारों की सुर्खियों में आना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनको साफ कर दिया। चौधरी बंसी लाल जी भी उसी श्रेणी में साथ ही शामिल हैं लेकिन ये इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी संख्या को नहीं बढ़ने दिया। इसके लिए मैं उनका पुन: धन्यवाद करता हूं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण -

चौधरी बंसी लाल एम० एल० ए० द्वारा

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी तकरीर कर दी लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर छत्तर सिंह एक बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं और वे बहुत ही सोबर आदमी हैं। उनका जो पीरियड था वह स्पीकर का हाउस का गोल्डन पीरियड था। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब चाहे आज चीफ मिनिस्टर हों या चाहे जब थे अपोजीशन में बैठते हों ये कभी भी चेयर को ऐड्रस नहीं करते। सारी तकरीर चाहे इनकी हो या चाहे प्रो० सम्पत सिंह की हो इस गलती को ठीक नहीं कर सकती कि लिस्ट ऑफ बिजनैस के बगैर आपने सबसे पहले जो नो कौंफीडैन्स मोशन टेकअप किया है। यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने रूल्ज के अनुसार ही फैसला किया है।

वाक-आउट

चौधरी बंसी लाल : यदि आप इसको ठीक फैसला मानते हैं । तो हम इसके विरोध में सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के माननीय सदस्य चौधरी बंसी लाल एवं श्री रामकिशन फौजी सदन से वाक-आउट कर गए।)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on Governor's Address will take place. Shri Nishan Singh, M.L.A. may move his motion.

Shri Nishan Singh (Tohana): Sir, I beg to move—

That an Address be presented to the Governor in the following terms—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 4th March, 2002".

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में रखे गये अभिभाषण के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार की कारगुजारियों के बारे में दर्शाया है। (शोर एवं व्यवधान)

[श्री निशान सिंह]

स्पीकर सर, जब से हरियाणा के अंदर माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई तब से इस ढाई साल के अर्से के अंदर अभूतपूर्व विकास के काम हुए हैं महासहिम ने इन पर चर्चा की है। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि यह जो विकास इस पीरियड के अंदर हुए ऐसे अभूतपूर्व विकास के काम आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई और न ही कोई मुख्यमंत्री कर पाया। चाहे किसान हो, चाहे कमेरा हो, या व्यापारी हो, कर्मचारी हो इस बहुमुखी विकास से कोई वर्ग अछूता नहीं रहा। गांव की बात हो या शहर की बात हो हर जगह विकास के काम हुए हैं। विशेषकर यह साल किसान के लिए खुशी का पैगाम लेकर आया क्योंकि इस वर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस० वाई० एल० के पानी के बारे में फैसला दिया। (इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि एक वर्ष के अंदर यह काम पूरा किया जाए। (इस समय मेजें थपथपाई गई) यह हरियाणा के लिए बहुत ही खुशी की बात रही। हमारे स्वर्गीय युगपुरुष जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से चला आ रहा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूरा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यकुशलता भी काम आई जिन्होंने कि इस केस को सही तरीके से लिया जिस कारण फैसला हमारे हक में हुआ। यह फैसला हरियाणा प्रदेश के किसान के पक्ष में रहा। इस फैसले के कारण एस० वाई० एल० के पानी आने के कारण इससे दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। यह एक बहुत सराहनीय फैसला है।

चौधरी देवी लाल जी ने जन-कल्याणकारी कार्यक्रम लोगों के फायदे के लिए चलाए थे। वे गांव में जाकर गांव के लोगों के बीच में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे जिसको कि खुला दरबार नाम दिया गया था। वे लोगों की तकलीफों को सुनकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर करते थे। उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसको नया नाम दिया 'सरकार आपके द्वार'। इस ढाई वर्ष के अर्से में दो चरणों में सारे के सारे 90 क्षेत्रों में जाकर जिस तरीके से हर वर्ग को सुख सुविधा के लिए और हरियाणा के बहुमुखी विकास के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कीं उनकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। हमारे पास शब्द नहीं हैं जिन शब्दों में हम सरकार का धन्यवाद कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा की जनता इस विकास को देख कर बहुत सुखद महसूस कर रही है। पहले चरण में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रान्त के सभी क्षेत्रों का एक समान विकास किया है। पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुये हैं वे अपने क्षेत्र और अपने जिले का ही विकास कराने को प्रीयोरिटी पर रखा करते थे और उसी क्षेत्र का ही विकास हुआ करता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की यह खासियत रही कि उन्होंने सारे हरियाणा प्रान्त के हर जिले को और हर क्षेत्र को टच किया और हर क्षेत्र का बराबर विकास करने का काम किया है। वे गांव में जाकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं आम जनता के बीच में बैठकर उनकी तकलीफों को सुनकर उनका मौके पर ही समाधान करते हैं। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने आम लोगों का काम करने का एक आयाम खोला है। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, हरिजन भाइयों

के लिए और बाल्मिकी बिरादरी के लिए हर गांव में चौपाल बनाने का काम किया है ताकि हर वर्ग का आदमी एक जगह बैठकर अपनी दु:ख तकलीफों के बारे में बात कर सके । माननीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि चौपाल में हर वर्ग का आदमी बैठ कर अपनी दु:ख तकलीफों को कह सकता है और इन चौपालों का वे शादी ब्याह में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आज उस सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी ने साकार किया है। इसके इलावा सरकारी स्कूलों के कमरे बनाने का काम, उनकी चार दीवारी बनाने का काम और स्कूलों को अपग्रेड करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिन मिडल और हाई स्कूलों में एक-एक अध्यापक हुआ करते थे उनकी संख्या को भी पूरा किया है और जिन स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में थी और गिरने वाली थी उनको गिराकर दोबारा से नई बिल्डिंग बनाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पशु औषधालय हर क्षेत्र में 4-5 किलोमीटर पर खोलकर किसानों को सुविधा देने का काम किया हैं ताकि उन्हें अपने पशुओं को ज्यादा दूर न ले जाना पड़े। आज विकास के कारण गांवों की रूपरेखा ही बदल गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांवों की गलियों को पक्का करवाने का काम और नालियों को बनवाने का काम किया है ताकि गांव का पानी गांव की गलियों में फैलने की बजाये सीधा जोहड़ में चला जाये ताकि गांव में गंदगी न फैले। गांवों में वृद्ध आश्रम बनाने का काम स्वर्गवासी चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था उनका सपना था कि गांव के लोग एक जगह बैठकर चर्चा कर सकें। जोहड़ों की रिटेनिंग वाल बनाने का काम इस सरकार द्वारा किया गया है। पहले गांव की गलियों का पानी गांव की फिरनी में फैल जाता था और गांव की सड़कों को तोड़ देता था। पहले हरियाणा के गांवों की पक्की सड़कों की हालात बहुत बुरी थी लेकिन हमारी सरकार ने सारे हरियाणा में पक्की सड़कों को बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया है। मैं यह समझता हूं कि हरियाणा की सभी सड़कों का काम चाहे वह मण्डी बोर्ड द्वारा बनाई गई है या पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा बनाई गई है सभी सड़कों की रिपेयर कर दी गई है और लोगों की सड़कें बनाये जाने की डिमाण्ड को पूरा कर दिया है। हमारी सरकार ने गांवों के जो श्मशान घाट हैं उनकी चार दीवारी को भी बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के पहले चरण में 850 करोड़ रुपये लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की डिमाण्डों को पूरा करने का प्रयास किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले हम देखा करते थे कि सरकार घोषणाएं करती थी लेकिन वे घोषणाएं 8-8 या 10-10 साल तक घोषणाएं ही रह जाती थी या फिर पत्थर लगा दिया जाता था और वह पत्थर खड़ा ही रह जाता था या उखाड़ दिया जाता था लेकिन वह घोषणा पूरी नहीं होती थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के पहले चरण में की गई सारी घोषणाओं को पूरा किया। पहले चरण के बाद फिर मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा के क्षेत्रों में गए और उन्होंने 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' का दूसरा चरण शुरू किया है जो कि एक अच्छी शुरूआत थी। इस कार्यक्रम से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास की भावना कायम हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हरियाणा सरकार ने गांवों के चुने हुए प्रतिनिधियों में एक विश्वास कायम करने के लिए उनकी सरकार में हिस्सेदारी है ग्राम विकास समीतियां सारे हरियाणा में बनाने का काम किया। इन समितियों में हर वर्ग और हर जाति के लोगों को शामिल करने का काम किया है ताकि गांवों में जो विकास के कार्य चल रहे हैं वे उन सभी प्रतिनिधियों की देखरेख में हों ताकि वे भी समझें कि हमारी सरकार में भागीदारी है। मैं समझता हूं कि यह काम सारे भारत में पहली बार हरियाणा में ही हुआ है ।

[श्री निशान सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कानून और व्यवस्था की बात करना चाहता हूं। इस बारे में महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया था कि पिछले ढाई वर्ष में जब से सत्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने सम्भाली है अपराध की दर मे कमी आई है यानि कानून और व्यवस्था ठीक हुई है। पिछली सरकारों के समय में जिस तरीके से अपराध होते थे और जिस तरीके से महिलाओं के साथ जुल्म होते थे उन पर इस सरकार ने काबू पाया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सरकार के समय में कानून और व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, दलितों पर अत्याचार की बात करें तो पहले दिन दिहाड़े सरेआम अत्याचार होते थे जिसको हमारी पुलिस ने रोकने का काम करके एक अच्छी व्यवस्था और एक अच्छा प्रशासन लोगों को दिया है। प्रदेश के अन्दर शान्ति, आपसी भाई चारा हमारी सरकार ने बनाया है और साम्प्रदायिकता को खत्म करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने का काम भी इस सरकार ने किया है। हमारे प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फख्र के साथ कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में पिछले ढाई साल के अन्दर एक रैवोल्यूशन आया है जिस कारण उत्पादकता बढ़ी है। किसान 24 घण्टे एक करके अपने खेत में पसीना बहाता है और खेती पैदा करता है उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस सरकार ने किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में दी है और बिजली की वोल्टेज भी पूरी दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले हम देखा करते थे कि बिजली बहुत कम आती थी पहले बिजली 10 मिन्ट के लिए आती थी फिर ट्रिप कर जाती थी फिर आती थी और फिर किसान खेत की तरफ भागता और फिर बिजली चली जाती थी। मैं मानकर चलता हूं कि अब पहले से कई गुना कम ट्रांसफार्मर जले हैं और पहले से कम किसान की मोटरें जली हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसान को उसकी फसल का मूल्य दिलाने के लिए जो जद्दोजहद किया है उसके लिए जो प्रयास किया है वह सारे प्रदेश में मिसाल है। किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उनको गन्ने का मूल्य 110 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया है जोकि सारे भारत में सबसे ज्यादा है और गेहूं का भाव 610 रूपये प्रति क्विंटल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नहरी सिंचाई की बात है इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सभी रजबाहों की और सभी नहरों की सफाई करवाई है। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी नहर की टेल तक पानी देने की बात कहते थे और आज किसानों को हमारी सरकार ने नहरों की सफाई करवाकर टेल तक पानी पहुंचाया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयां समय पर, असली और उचित रेट पर मुहैया करवाई हैं। जहां तक फसल की बिक्री का सवाल है इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मण्डियों में, सब यार्डों में जहां भी किसान की फसल सरकार द्वारा खरीदी जा रही थी वहां गये जबकि दूसरी सरकारों के समय में संबंधित क्षेत्र के विधायक भी अपने यहां मण्डियों में नहीं जाते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार हमारे यहां आये और दोनों ही बार हमारे यहां की मण्डियों को और सब यार्डों को चैक किया। जब मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप पहले आये थे उस समय आप चैक करके गये थे अब दोबारा चैकिंग की क्या आवश्यकता है तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं यहां से जा रहा था इसलिये मेरा

यह फर्ज बनता है कि मैं चैक करूं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह चैक करना मेरा फर्ज है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उन्होंने मौके पर जाकर चैकिंग की जिसका असर यह हुआ कि किसानों को फसल का पूरा भाव मिला और उनका एक-एक दाना खरीदा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े दिन पहले हम यू०पी० में गये थे। वहां पर हमने देखा कि किसानों का गेहूं 500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा था। इस तरह वहां पर किसानों की फसल लूटी जा रही थी जबकि हमारे यहां किसानों की खेती का उत्पादन बढ़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपनी अच्छी नीतियों की वजह से किसानों को फसल के उचित भाव देकर और किसान की सारी फसल खरीद कर उसका मान बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के अंदर नि:शुल्क "कृषि हैल्प लाईन" सेवा शुरू की है। आजकल किसान के घर टैलीफोन होता है और वह अपनी फसल के खाद, बीज या बीमारी के उपचार के लिए अब विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से टैलीफोन पर ही सलाह ले सकेगा, मश्विरा ले सकेगा और समय पर ही अपनी फसल पर लगी बीमारी को रोक पायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस तरह के कई अच्छे कार्यक्रम किसानों को दिए हैं जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कृषक उपहार योजना कृषि के ऊपर नई स्कीम लागू करके कृषि को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के तहत बहुत से मुख्य मार्किट यार्ड और सब-यार्ड कृषि विपणन बोर्ड से बनवाये हैं। मुख्यमंत्री जी जिस भी गांव में गये और जहां पर नजदीक किसान की फसल खरीदने के लिए मण्डी नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी ने उसी समय वहां पर नजदीक ही मण्डी बनवाने का ऐलान किया और बाद में कृषि विपणन बोर्ड से मुख्य मार्किट यार्ड या सब-यार्ड बनवाए। उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने ओलावृष्टि से फसल बरबाद होने पर कम्पनसेशन देने का कानून लागू किया था और हमारी सरकार ने उसी कम्पनसेशन राशि को बढ़ाने का काम किया है। अब जिस किसान की फसल में 75 से 100 प्रतिशत का नुकसान होगा उसे 2000 रुपये प्रति एकड़, जिसमें 50 से 75 प्रतिशत का नुकसान होगा उसे 1500 रुपये प्रति एकड़ और जिसमें 25 से 50 प्रतिशत का नुकसान होगा उसे 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। सरकार ने ऐसा करके किसानों को प्रोत्साहित किया है। मैं समझता हूं कि किसानों की दशा आज के दिन ऐसी है कि अगर फसल मर जाए तो किसान की अगली फसल बिजने की स्थिति नहीं रहती। बीज, तेल, खाद तथा दवाईयां आदि वह ले नहीं सकता । उसको अगली फसल बोने के लिए कर्ज उठाना पड़ता है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा कदम हमारी हरियाणा सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में उठाया गया है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बिजली के शार्टकिंग यानि आसमानी बिजली गिरने की वजह से आग लग जाए तो उसको भी कम्पनसेट करने का फैसला किया है। मैं समझता हूं कि किसान पूरी तरह से इसके लिए सरकार के आभारी हैं और इसी कारण हमारा जो उत्पादन है उसका रिकार्ड भी बढ़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई है तब से बाढ़, सूखा और ऐसी कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई लेकिन उसके बावजूद भी चाहे धान की फसल हो और चाहे गेहूं की फसल हो उसमें एक रिकार्ड तोड़ यील्ड रही है। हमारा किसान खुशहाल हुआ है क्योंकि उसकी पैदावार पहले से बहुत बढ़ गयी है। पहले फसल के रखरखाव के लिए प्रबन्ध न होने की वजह से अनाज

[श्री निशान सिंह]

खुले में सड़ता था । इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शैड बनवाने के लिए फैसला लिया ताकि फसल खराब न हो। ये शैड सारे हरियाणा में बनवाये गए हैं और इसी तरह से गोदाम बनाने का भी फैसला किया गया है। मैंने कहीं पर पढ़ा है कि 40 मीट्रिक टन क्षमता तक के गोदाम बनवाये गए हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु ट्यूबवैल के लिए बिजली के कनैक्शन देने के लिए तत्काल योजना बिजली महकमे ने चालू की थी उसके अन्तर्गत 8 हजार के लगभग किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि पिछले 10 सालों से एक भी ऐसा कनैक्शन ट्यूबवैल्ज के लिए किसानों को नहीं दिया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि 8 हजार के करीब जो नये ट्यूबवैल्ज लगाये गए हैं इससे सिंचाई अधिक होगी और कृषि उत्पादन और बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि इसके लिए किसान सरकार के आभारी हैं। इसी प्रकार से किसानों को नहरी पानी के बारे में भी सरकार ने दिक्कत नहीं आने दी। सब को पता है कि पूरी बरसात न होने के कारण भाखड़ा डैम के अन्दर पानी का स्तर नीचे हो गया था इसके बावजूद भी किसानों को पानी समय पर दिया गया। किसानों को यह सुविधा पक्के खाल बनवाने की वजह से, वाटर कोर्सों की पानी की चोरी रोक करके व मिस यूज को रोक करके पानी आखरी छोर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने बखूबी किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पिछले अढाई साल के अरसे में माननीय कृषि मंत्री जसविन्द्र सिंह सन्धु जी की देखरेख में इस मंत्रालय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश व उनके आदेश के अनुसार किए गए कार्य के फलस्वरूप किसानों की जो मदद की है व किसानों की जो हौंसला अफजाई की, उससे किसान काफी राहत महसूस करते हैं। सरकार की अच्छी नीतियों के कारण किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है इसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह कम है । सिंचाई के लिये लगभग 2 हजार किलोमीटर पक्के खाल बनवाये हैं। ये पक्के खाल पिछले समय के अन्दर यानि पिछली सरकारों के अन्दर किसानों से पैसे इक्ट्ठे करके बनवाये जाते थे जबकि इस सरकार ने आदेश दिए कि पक्के खालों के लिए एक भी पैसा किसानों का नहीं लगेगा और सरकार अपने पैसों से खाल पक्के बनवा कर देगी । मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वे 2 हजार किलोमीटर पक्के खाल जो बनाए गए हैं उससे किसानों की सिंचाई अधिक होने से उन्हें लाभ हुआ है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री भगवान सहाय रावत पदासीन हुए ।)** सभापति महोदय, पंचकूला में सिंचाई भवन बनाया जा रहा है जिसमें एक छत के नीचे सभी अधिकारी बैठकर किसानों की समस्याओं का बढ़िया ढंग से समाधान कर पाएंगे जिससे किसान को उसका लाभ होगा। सिरसा में चौधरी देवी लाल जी के नाम पर ओटू वियर स्मारक लगभग साढ़े 34 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है।

चेयरमैन सर, सरकार की उपलब्धियां जितनी भी गिनाई जाएं, मैं समझता हूं वे कम हैं। बिजली के क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता किसान को दी गई है। पहली सरकारों के मुकाबले इस सरकार के शासन काल में जहां बिजली का उत्पादन बढ़ा है वहीं उसमें एकुरेसी भी बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि पिछले काफी अरसे से लम्बी लाईनें जो बिछी हुई थीं वे पुरानी पड़ गई थीं और कमजोर हो चुकी थीं इसीलिए लाईन लोसिज को कम करने के लिए उन पुरानी तारों को बदला गया है जिनकी वजह से लाईन लौसिज़ बढ़ रहे थे। जो पुराने ट्रांसफारमर्ज थे वे भी बदले गऐ हैं जिसके कारण अब बिजली की पूरी वोल्टेज किसानों को मिल रही है। बिजली की चोरी को

रोकने के लिए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार ने सफल प्रयास किए हैं। इसमें काफी सफलता सरकार को मिली भी है। बिजली के बिलों का जो डिफाल्टिंग अमाउंट था जिसे पिछली सरकारों ने डण्डे, लाठी और गोली से लेने का काम किया था लेकिन उस अमाउंट को ले नहीं पाई थी। हमारी सरकार द्वारा उसी डिफाल्टिंग अमाउंट की काफी हद तक रिकवरी बड़े प्रेम प्यार से हुई, स्वेच्छा से हुई और किसानों तथा पंचायतों के सहयोग से प्रदेश से बिलों की अदायगी करवाई गई है। इस से बिजली महकमे का काम सुचारू रूप से हुआ है जिससे किसानों को भी लाभ हुआ है। सभापति महोदय, 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोगों की मांग के ऊपर जहां बड़ी देर से बिजली के सब-स्टेशन बनाने की मांग थी यानि जहां पर 33 के0वी0ए0 और जहां पर 66 के0वी0ए0 के सब स्टेशन्ज बनने थे वे बनाए हैं। इसके अलावा जहां पर केवल पत्थर काफी देर से लगे हुए थे उन यूनिटों को भी रिकार्ड समय के अन्दर चालू किया है। बहुत सारे यूनिटों के उद्घाटन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किए हैं। जहां पर भी लोगों की बिजली देने की डिमाण्ड थी वहां पर बिजली की आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। बिजली की सप्लाई में सुधार लाने के लिए सब-स्टेशन लगाने का काम किया गया है। पिछले अढाई वर्ष में विकास कार्यों में जो तेजी आई है। मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश का डिवैल्पमैंट हुआ है जिससे प्रत्येक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गरीब किसान, सारे प्रदेश के लोगों को और आम जनता को लाभ हुआ है।

चेयरमैन साहब, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार दे कर उनका मान बढ़ाने का काम किया है उनको अपने साथ मिलाने का काम किया है न कि तानाशाही चला कर अपना हिस्सेदार बनाने का काम किया है। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में जिस तरीके से लोगों को हिस्सेदारी दी गई है मैं समझता हूं कि इससे सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया गया है और लोगों में आस्था जगी है। जितने भी विकास के काम गांवों में हो रहे हैं और जिस तरीके से हो रहे हैं वह बताने की बात नहीं है। शहरों में भी नगरपालिकाओं को हिस्सेदार बनाया गया है जिस कारण उनमें भी कामों के अन्दर क्वालिटी का सुधार हुआ है। लोग इस बात को समझते हैं कि यह विकास हमारे लिए हो रहा है, यह हमारा अपना विकास है और यह हमारा पर्सनल काम है। इस तरीके से उन्होंने खड़े हो कर बजरी और सीमेंट जहां जो भी चीज लगाई गई है उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए पूरा हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। सरकार ने हरियाणा में स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की फीस का 3% पैसा पंचायती राज संस्थाओं को देने का फैसला किया है ताकि गांवों में विकास हो सके । बेहतर विकास कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत करने का सरकार ने जो फैसला किया है वह भी बहुत सराहनीय कदम है। ग्रामीण विकास समितियों का गठन करके राज्यीय कार्य में लोगों को मान दिया है और लोगों को हिस्सेदार बनाया गया है। पहले गांवों के सैंकड़ों मजदूर जिनको इन दिनों कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और जो घर छोड़ कर रोजी कमाने के लिए बाहर जाते थे आज उनको अपने ही गांव के जोहड़ के ऊपर व गांव की फिरनी पर मिट्टी डालने का काम दिया गया है। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने काम के बदले अनाज के लिए जो स्कीम बनाई थी आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको आगे बढ़ाया है। आज जब भी हम सफर करते हैं तो देखते हैं कि जो मजदूर गांव छोड़ कर बाहर जाने के लिए तैयार थे आज वे अपने ही गांवों में काम कर रहे हैं। सरकार ने यह बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है। आज घर बैठे ही मजदूरों को काम मिल रहा है।

[श्री निशान सिंह]

चेयरमैन सर, ग्रामीण खेल पिछले सालों में एक प्रकार से पूरी तरह से बंद हो चुके थे। गांव के नौजवान नशे की तरफ तथा दूसरी बुराईयों की तरफ बढ़ रहे थे। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उनके हाथों में शराब की बोतलें और शराब के पाऊच थमाने का काम पिछली सरकार ने किया था। आज उनके सुधार के लिए उनको सही दिशा में लाने के लिए इस सरकार ने ग्रामीण खेलों को भी बढ़ावा दिया है। आज खेल खण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रान्तीय स्तर पर करवाए जाते हैं। आज खण्ड, जिला परिषद, पंचायत और नगरपालिका को खेल करवाने का जिम्मा दिया गया है। आज इनके लैवल पर कम्पीटीशन करवाए जाते हैं। सरकार का खेलों को बढ़ावा देने का यह फैसला एक अभूतपूर्व फैसला है। मुख्यमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक घोषणा की थी कि अगर कोई खिलाड़ी ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर आता है तो उसको 1 करोड़ रुपये, रजत पदक वाले को 50 लाख रुपये और कांस्य पदक वाले को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे । इस सरकार ने इतना बड़ा फैसला हरियाणा में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ही किया है। कर्णम मलेश्वरी जब ओलम्पिक खेलों में कांस्य पदक जीत कर आई थी तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा के अनुसार उसको 25 लाख रुपये का चैक दिया था । इस वजह से जिन लोगों में ज्यादा प्रतिभा है वह हरियाणा से बाहर जाकर हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण हरियाणा के हिसार जिले में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अन्दर खेल विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। वहां के बच्चे इससे बहुत लाभ उठाएंगे। इसी तरह से पंचकूला में भी आठ लाख रुपए की कीमत से एक स्टेडियम बनाने की योजना है। प्रदेश के अन्दर हरियाणा ओलम्पिक संघ के माध्यम से श्री अभय सिंह के नेतृत्व में नया काम शुरू हुआ है। युवाओं को खेलों की तरफ बढ़ाने के लिए फैसला हुआ है। पिछली सरकार के वक्त जो युवा नशे की तरफ डाइवर्ट हो गए थे, उनको सही राह पर लाने के लिए खेलों की तरफ बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई गई है। अब गुड़गांव और अम्बाला स्टेडियम में भी एस्ट्रोटर्फ बिछाने की बात की गई है।

चेयरमैन साहब, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में जाने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा रोडवेज की बसिज द्वारा 75 प्रतिशत किराए में छूट देना एक तरह से खेलों को बढ़ावा देने वाली बात है। इसके लिए हरियाणा की जनता सरकार की आभारी है।

इसी तरह से सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नयी शिक्षा नीति लागू की है। सरकार द्वारा शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कई तरह के फैसले लिए गए हैं। अब हमारा नौजवान शिक्षा लेकर सीधा नौकरी प्राप्त कर सकेगा। अब उसे रोजगार के धंधे मुहैया करवाए जा सकेंगे और वे अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे। नयी शिक्षा नीति में बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करवाना, छठी कक्षा से कम्प्यूटर की शिक्षा देना जैसी बातें शामिल हैं। अब ये सारी सुविधाएं गांवों के स्तर पर दी जाएंगी। पहले हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे लेकिन हमारी सरकार ने इन सुविधाओं को देने का काम किया है। इसी तरह से शिक्षकों द्वारा जो पहले ट्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, जो पहले इस तरह की एक गलत रीत पड़ चुकी थी कि साधन सम्पन्न पैरेंटस अपने बच्चों को ट्यूशन करवा लेते थे, मैं समझता हूं कि उस गलत रीत को बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है ताकि शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और बच्चे भी क्लास में जाकर सही शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी तरह से हमारी सरकार द्वारा नये अध्यापक भी भर्ती किए गए।

चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय में जब गांवों में किसी मंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा स्कूलों को अपग्रेडेशन की सैकड़ों घोषणाएं की जाती तो लोग तालियां बजा दिया करते थे लेकिन मैं समझता हूं कि एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है क्योंकि उस समय स्कूलों में अध्यापक ही नहीं होते थे। स्कूल बन जाएगा या उसकी बिल्डिंग बन जाएगी और जब तक अध्यापक नहीं होंगे तब तक स्कूल कैसे चलेगा, पढ़ाई कैसे होगी ? लेकिन हमारी सरकार ने नोर्म्ज के मुताबिक हजारों अध्यापकों की भर्ती की है और कह दिया है कि हर गांव, हर शहर या कस्बे में मिडिल स्कूल के लिए इतनी, प्राईमरी स्कूल के लिए इतनी, हाई स्कूल के लिए इतनी और प्लस टू के लिए इतनी जिस वक्त भी बिल्डिंग बन जाएगी उसी वक्त स्कूल को अपग्रेड समझो । यह रिकार्ड की बात है। पहले मिडिल स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक होता था जिसकी वजह से पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो गयी थी और पढ़ाई का स्तर गिर चुका था लेकिन हमारी सरकार ने इसको सुधारने का काम किया है। नये भर्ती किए हुए अध्यापकों को खाली स्थानों पर भेजा गया है। मैं समझता हूं कि शिक्षा के मामले में हमारी सरकार एक तरह का रैवोल्यूशन लेकर आयी है। सरकार द्वारा इस दिशा में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नयी शिक्षा नीति के तहत बच्चे रोजगार प्राप्त कर सकें। इसी तरह से प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। गत अढाई वर्षों में नये इंजीनियरिंग कालेज, बहु तकनीकी संस्थान, एम0बी0ए0 कालेज, एम0सी0ए0 कालेज, फार्मेसी कालेज हमारी सरकार ने स्थापित किए हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की शिक्षा लेकर बच्चे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह के संस्थान बनने से बच्चों को रोजगार प्राप्त करने की दिशा में एक नया रास्ता खुलेगा। हमारे टोहाना में भी इस बारे में एनाउंसमैंट की गयी है कि एक पोलिटैक्निक कालेज बनाकर बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी।

चेयरमैन साहब, कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करके सभी पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया है। इसी तरह से इन्फोर्मेशन टैक्नोलौजी के मामले में हमारी सरकार ने बहुत आगे कदम बढ़ाये है। पिछले दिनों ऐसे फैसले लिए गए जिनके तहत विधायकों को भी कम्प्यूटर ट्रेनिंग दी गई। कम्प्यूटर के क्षेत्र में रैवोल्यूशन लाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी गई। कम्प्यूटर आज के युग की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने इन्फोर्मेशन टैक्नॉलौजी के मामले में आई0टी0नीति 2002 बना कर जिसकी घोषणा की है इस नीति का मुख्य उददेश्य आई0टी0 उद्योग को बढ़ावा देना है। कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं। जिसका लाभ हरियाणा में हर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। हरियाणा में सफल एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने हेतु इन्फोर्मेशन टैक्नॉलौजी बहुत कामगार साबित होगी । कम्प्यूटर के प्रयोग को प्राथमिकता सरकार द्वारा दी गई। आई0टी0 क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं से लैस ई-गवर्नैंस केन्द्र की स्थापना चण्डीगढ़ में की है, यह बहुत बड़ा काम है। इससे हमारे युवा लोगों को और उद्योगों का बढ़ावा मिलेगा और वे लाभान्वित होंगे। गांव में जो सबसे बड़ी बेसिक जरूरत है पेयजल की उस मामले में बहुत बड़ी बढ़ौतरी हुई है। पिछले अढाई साल के अर्से में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गांवों में जाकर यही पूछा करते थे कि क्या तुम्हारे गांव में पीने का पानी है। जो भी डिमान्ड लोगों ने की चाहे वह जलघर की थी, चाहे बूस्टिंग स्टेशन की बात थी या कहीं किसी ने स्टैण्ड पोस्ट की बात कही तो वह डिमांड पूरी की। चाहे किसी ने दो टूटियां लगाने की बात कही तो उसको भी तरजीह दी। हम मानकर चलते हैं कि पिछले अढाई साल में बहुत सुधार हुआ। पहले खुले नालों में पानी चलता था आगे जाकर वह पानी

[श्री निशान सिंह]

गंदा हो जाता था और लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता था । इसके लिए सरकार ने आदेश दिया कि जिस गांव में भी पीने का पानी जाएगा उसको कवर्ड करना होगा, पाइप लाइन लगानी होगी या लैंटर डालना होगा। इस तरीके से सरकार ने फैसले किए। जैसे किसी गांव में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्ध नहीं था और कहीं तो यह 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की सुविधा भी नहीं थी। आज के दिन बहुत सारे गांवों में ऐसे प्रयास किए कि लोगों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का विशेष ध्यान दिया गया।

समाज कल्याण के बारे में हरियाणा के युग पुरुष चौधरी देवी लाल जी हमेशा एक नारा दिया करते थे कि उनकी प्राथमिकता का केन्द्र बिन्दु समाज कल्याण रहा है। चौधरी देवी लाल जी ने जनकल्याण की अनेक योजनाएं लागू कीं और कई कार्यक्रम दिए। मौजूदा सरकार भी उसी राह पर चल रही है और समाज कल्याण के क्षेत्र में उनके सपने को साकार करने जा रही है। हरियाणा में उन गरीब लोगों की जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं उनकी बच्चियों के लिए 5100 रुपये कन्यादान की एक स्कीम सरकार ने लागू की है जिससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। जिस तरीके से किसी बुजुर्ग की या महिला बुजुर्ग की पीड़ा को चौधरी देवी लाल जी समझते थे उस तरीके से कोई नहीं समझता था। वे चाहते थे कि उनकी जेब में 100/- रुपये रहने चाहिये ताकि बुरे वक्त में दवाई की जरूरत पड़ जाये तो उस वक्त वह दवाई ले सके। उनके द्वारा चलायी गई बुढ़ापा पैंशन, विधवा पैंशन और विकलांग पैंशन को इस सरकार ने दुगुना करके अपने वचन को निभाते हुए इन लोगों को लाभ देने का काम किया है। आज मैं समझता हूं कि लगभग 14 लाख गरीब लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरीके से उन गरीब बुजुर्ग लोगों के लिए जो अपने घर में पड़े पड़े निराश हो जाते थे युग पुरुष चौधरी देवी लाल जी का सपना था कि गांव के अन्दर जिस तरीके से पंचायत घर, धर्मशाला, चौपाल बनती है उसी तरह से हर गांव में वृद्ध आश्रम गृह बनाने का काम सरकार को करना चाहिये ताकि वृद्ध लोग भी इसका लाभ उठा सके। चौधरी देवी लाल जी के उस सपने को भी इस सरकार ने साकार किया है। मैं महिलाओं के हितों के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं । सरकार ने इनको प्राथमिकता दी है। आज जच्चा-बच्चा को हर सहूलियत दी जाती है। महिलाओं को हर मदद देने का इस सरकार ने काम किया है।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं। हम देखते थे कि 10-10 साल अस्पताल बनाने के लिए, पशु अस्पताल बनाने के लिए, कहीं किसी क्षेत्र में अस्पताल बनाने के लिए घोषणायें हो जाया करती थी लेकिन उन पर कोई भी कार्य नहीं होता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के पहले चरण में हरियाणा भर में सैंकड़ों रूरल डिसपैंसरीज, आयुर्वैदिक डिसपैंसरीज, नये हास्पिटल्ज, जहां-जहां जरूरी थे वहां पूरे करने का काम किया है । आज हम देखते हैं कि डाक्टर लोग गांवों में जाना पसंद नहीं करते । आज डाक्टरों को जब सरकारी नौकरी दी जाती है तो उनके लिए यह शर्त रखी जाती है कि कम से कम चार-पांच साल उनको गांवों में अपनी नौकरी करनी पड़ेगी। इस प्रकार डाक्टरों को गांवों में भेजा गया है ताकि प्रत्येक ग्रामवासी अपने गांव में अपने घर में ही स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सके। ऐसे अभूतपूर्व और बढ़िया फैसले इस सरकार ने लिये हैं। जहां स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है उसके लिए जन स्वास्थ्य नियंत्रण आयोग का गठन किया गया है और जनसंख्या

नियंत्रण पर जोर दिया गया है। आज जिस प्रकार महिला और पुरूष के अनुपात में अन्तर बढ़ रहा है वह चिन्ता का विषय है, उसकी दर कम करने का सरकार ने प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से जनता को प्रदान करने और इनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने को प्रयास किया है यह सराहनीय है।

मैं समझता हूं कि आज के युग में स्वास्थ्य सुविधा के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, दवाई के लिए और स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए हर गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है उस सुविधा को हर गांववासी तक उसके घर तक पहुंचाने का काम किया है उससे काफी गरीब लोग लाभान्वित हुये हैं। सभी जिलों के लिए सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समितियों का गठन किया है जिससे इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जायेगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें हर जिले में ब्लॅड बैंक की स्थापना की गई है जिससे जरूरत मंद आदमी को ब्लॅड की तुरन्त सहायता प्रदान की जा सके। पहले यह होता था कि कुछ समाज सेवी संस्थायें ऐसा काम करती थी हरियाणा सरकार ने इसकी अहमियत को समझते हुए ऐसे कदम उठाये हैं जिससे जिस आदमी को ब्लॅड की आवश्यकता पड़े उसे मौके पर मदद दी जा सके और जान बचाई जा सके। इसी प्रकार अगर राज्य में परिवहन व्यवस्था की बात करें तो हम देखेंगे कि आज राज्य के लोगों को पर्याप्त और कुशल परिवहन सुविधा देने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो बसें पिछले समय में खटारा बन चुकी थी और हरियाणा परिवहन की बसें जब दूसरे राज्यों में जाती थीं तो लोग उन बसों को देखकर हंसते थे। आज सरकार ने 1200 नई बसें बदलकर पुरानी बसों को किनारे लगाकर लोगों को नई सहूलियत प्रदान की है।

सभापति महोदय, नैशनल हाइवे के ऊपर पहले जो एक्सीडैंट होते थे वहां हरियाणा हाइवे 13.00 बजे पर पैट्रोलिंग की सुविधा देकर उन दुर्घटनाओं पर कंट्रोल करने का काम इस सरकार ने किया है। आज हम मानकर चलते हैं कि सरकार के प्रयासों से 15-20 परसैंट तक उन दुर्घटनाओं में कमी आई है। परिवहन विभाग का सरकार कम्प्यूटरीकरण करने जा रही है। ताकि उसको और भी कुशल और प्रभावशाली बनाया जा सके, इससे मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों को परिवहन की सुविधा अच्छी मिल पाएगी। हरियाणा पहला राज्य होगा जो परिवहन के मामले में लोगों को अच्छी सुविधा दे सकेगा। आज भी सारे भारत में हरियाणा पहला राज्य है जो लोगों को परिवहन की बढ़िया सुविधा देने का काम कर रहा है चाहे इसमें कोई शक नहीं कि हमारा परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है लेकिन हम लगातार उस घाटे को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सभापति जी, अब मैं उद्योगों की बात करना चाहता हूं। हरियाणा राज्य ने उद्योगों के मामले में पिछले अढ़ाई साल में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** जिस तरीके से सरकार ने पूंजी निवेश के लिए कोशिश की है, नई उद्योग नीति को मंजूरी दी है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल को साथ लेकर 3-4 देशों जैसे सिंगापुर, जापान आदि का भ्रमण किया ताकि हरियाणा के अन्दर अच्छे उद्योग लग सकें। जो उद्योग और जो इंडस्ट्रीज दिल्ली से उजड़ करके हरियाणा की तरफ बढ़ रही थी उनको भी प्रोत्साहित किया गया है और उनकी मदद की गई है तथा उनके लिए सरल कानून बनाए गए हैं। मैं समझता हूं कि राज्य में हरियाणा औद्योगिक विकास निगम में एक एफ0 आई0 पी0 बी0 का गठन किया गया है यह बहुत बड़ा सहयोगी होगा, इससे इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। गांधी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार ने चौधरी देवी लाल की सोच के तहत

[श्री निशान सिंह]

गांवों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया है। उनको ऋण देने का प्रोसीजर सरल किया है ताकि पढ़े लिखे बेरोजगार साथी सरकार से ऋण प्राप्त करके अपने लघु उद्योग लगाकर अपना जीवनयापन कर सकें। अध्यक्ष महोदय, पहली बार औद्योगिक प्लाटस की अलाटमैंट की जो शुरूआत की गई है वह बहुत सराहनीय कार्य है। उद्योगों के क्षेत्र में पूंजी निवेश को जो बढ़ावा मिला है, मैं समझता हूं कि यह सारे का सारा सरकार के प्रयासों का रिजल्ट है। सरकार की कोशिशों ने भारतीय प्रवासियों को यहां उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया है जिससे बहुत भारी पूंजी निवेश हरियाणा में हुआ है। हरियाणा राज्य को विश्व के औद्योगिक नक्शे के ऊपर प्रमुख रूप से लाया जाए इसके लिए गुड़गांव में चौधरी देवी लाल इंडस्ट्रियल माडलटाउनशिप की स्थापना की गई है। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि सरकार के प्रयासों से उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है वहीं हरियाणा प्रान्त में उद्योगों को बढ़ावा देने से भी हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

सरकार द्वारा सहकारिता के मामले में किसानों को लाभ देने हेतु हरियाणा के सभी सहकारी केन्द्रीय बैंकों किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया, इससे हरियाणा के बहुत से किसान लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत किसान को अपनी फसल पैदा करने में कठिनाई नहीं हुई। बैंकों ने किसानों को सही तरीके से और कम ब्याज दर पर लोन दिया जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ और उन्हें साहूकारों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। सहकारिता के मामले में हरियाणा सहकारी अपैक्स बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नाबार्ड ने 1999-2000 में प्रथम पुरस्कार दिया। यह सरकार की अच्छी नीतियों का ही परिणाम है। अध्यक्ष महोदय,हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 0.59% की बढ़ौतरी की और हमारी सहकारी चीनी मिलों ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। अध्यक्ष महोदय, कपास की खेती से किसानों को विशेष मुनाफा नहीं होता इसलिए किसानों का ध्यान गन्ने की फसल की तरफ डाईवर्ट किया जा रहा है और गन्ने की फसल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने सिरसा में पन्नीवाला मोटा गांव में और गोहाना में दो नई सहकारी मिलों की स्थापना की है ताकि किसान गन्ने की फसल बीज करके ज्यादा लाभ कमा सकें ।

अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत रियायतें दी हैं। हमारी सरकार ने टैक्स प्रणाली का सरलीकरण किया है। पहले व्यापारी को टैक्स फॉर्म भरने में आफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे जिसके कारण व्यापारियों को व्यापार करने में काफी परेशानी होती थी और उन्हें कई कई फार्म भरने पड़ते थे। हमारी सरकार ने एच0टी0 38 फार्म लगाकर व्यापारियों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने गृह कर नीति में भी काफी सुधार किया है। पहले जो गृह कर नीति थी उसके तहत प्रतिष्ठित लोग गृह कर में बहुत ज्यादा छूट अपनी मर्जी से ले लेते थे और आम आदमी को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब हमारी सरकार ने उसमें कुछ नार्म्ज लगा करके और एक पैमाना बना करके आम लोगों को सहूलियत देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की उपलब्धियों की चाहे जितनी भी बात की जाये यह कम है। यह रिकार्ड की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जनता से जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वह करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कुछ समय बाद लोग यह कहेंगे कि वे किस काम

के लिए मुख्यमंत्री जी को कहें कि उनके यहां यह काम नहीं हुआ। हमारी सरकार इतनी तेजी से विकास कार्य कर रही है कि पांच साल तक हरियाणा में अभूतपूर्व विकास हो जायेगा और हरियाणा के किसी भी जिले में कोई काम नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने 4 मार्च को जो अभिभाषण सदन में पढ़ा, सदन के सम्मुख रखा है सारे सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस अभिभाषण को सर्वसम्मति से पास किया जाये। धन्यवाद ।

Mr. Speaker : Now Shri Rajinder Singh Bisla will second the motion.

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारे एक बहुत ही अनुभवी और योग्य सदस्य सरदार निशान सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके अनुमोदन के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के समय हम सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं और सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण से यह इच्छा जाहिर की कि हम सभी सम्मानित सदस्यगण इस गरिमामय सदन के एक एक मिनट और एक एक सैकेण्ड का हरियाणा प्रदेश की जन समस्याओं का किस प्रकार समाधान हो, चर्चा में सब अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार हिस्सा लें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हर वर्ष बजट सत्र से पहले आरम्भ में दिया जाता है और इस अभिभाषण में सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आगे आने वाले वर्ष की जन-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दर्शाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि आज सभी सदस्यगण को जो हमारे नव-निर्वाचित विधान सभा के सदस्य श्री मलिक चन्द गंभीर जी बने है इनका पुन: मेजें थपथपा कर स्वागत करें। (इस समय मेजें थपथपाई गई) इसके साथ ही साथ मैं यमुनानगर की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने एक अति अनुभवी, कर्मठ और निष्ठावान सदस्य चुन कर इस सदन में भेजा है। भाई मलिक चन्द गंभीर जी के नाम के साथ गंभीर शब्द लगा है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों में भी कहा गया है कि अच्छे मनुष्य के जो गुण हैं या लक्षण हैं उनमें से एक गुण गंभीर का भी है। वास्तव में यमुनानगर की जनता का मैं पुन : धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कर्मठ साथी चुन कर भेजा है। अध्यक्ष महोदय, अभी यमुनानगर में कुछ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ऐसे क्षेत्र के सभी निवासीगण का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने जात-बिरादरी, धर्म या छोटे-बड़े आदि सब बातों से अलग हटकर एक योग्य उम्मीदवार को चुना। उनके सामने एक बहुत अच्छा सुन्दर मुद्दा था कि आदरणीय चौटाला साहब के प्रत्याशी को वोट देंगे और अपने यहां के विकास के काम करवायेंगे। जिस क्षेत्र के लोग या मतदाता समझदार होते हैं। वे अपनी अपनी सोच का परिचय अपने प्रतिनिधि को विधान सभा में भेजकर देते हैं। मैं पुन: इनका स्वागत करते हुए यह आशा रखता हूं कि समस्त सदन इनके सुझावों से यानि गंभीर जी के सुझावों से लाभान्वित होगा।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था हमारे देश में है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायपालिका और प्रैस दो महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। हरियाणा की जनता के लिए एक सुखद संदेश लेकर यह बजट सत्र आया है। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि जो एस0वाई0एल0 का हिस्सा पंजाब में पड़ता है उसको वह एक वर्ष के अन्दर बना कर पूरा करे।

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एकदम निर्णय लेकर बजट में पैसे का भी प्रावधान किया है ताकि जो हरियाणा प्रदेश में एस0वाई0एल0 का हिस्सा आता है उसका अति शीघ्र काम कर के उसको पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपका भी बहुत लम्बा राजनैतिक जीवन रहा है और आपने भी प्रदेश और देश में उच्चकोटि के पदों को सुशोभित किया है। एस0वाई0एल0 का मुद्दा हमारे हरियाणा प्रदेश के सामाजिक जीवन में जीवन और मरण का मुद्दा है। समस्त प्रदेश की जनता को एक बार फिर आशा जगी है कि अतिशीघ्र एस0वाई0एल0 नहर पूरी होगी और हमें पानी मिलेगा। विशेषकर प्रदेश के दक्षिण एरिया के सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 'सरकार आपके द्वार' जो एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। यह वास्तव में ही एक अनूठा कार्यक्रम है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि एक प्रकार से यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हमने स्वयं अपने जिलों में और अपने-अपने क्षेत्रों में देखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम ले कर स्वयं आम आदमी के पास जाते हैं। गांव में समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में बैठकर उनकी समस्याओं को सुनने का पूरा प्रयास करते हैं और वहीं पर अधिकारीगणों को आदेश देते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत विशेष कर विकास कार्यों के लिए लोगों को वहीं पर ही पैसा देते हैं । अध्यक्ष महोदय, आज एक बार फिर सारे हरियाणा में चहुमुखी विकास कार्यक्रम चारों तरफ देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में मुख्य मन्त्री जी के प्रथम चरण के कार्यक्रम में 852.79 लाख रुपये की लागत से 10089 विकास कार्य पूरे जा चुके हैं, मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इसी कार्यक्रम के दूसरे चरण में 388.67 लाख रुपये की लागत से 9830 विकास कार्य अभी अपनी प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक बहुत अच्छी शुरूआत हुई है जिसका बहुत बड़ा अनुभव हरियाणा प्रदेश की जनता कर रही है। सरकार द्वारा हरियाणा की हर ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समितियों का गठन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 'सरकार आपके द्वार' और ग्राम विकास समितियों का जो गठन किया गया है इसके बारे में हरियाणा प्रदेश के बाहर भी लोगों में बहुत उत्सुकता देखने को मिली है। हमारी विधान सभा की कमेटियों में हरियाणा प्रदेश से बाहर के राज्यों में जाने का सौभाग्य सभी सम्मानित सदस्यों को प्राप्त है। जब हम दूसरे प्रदेशों की विधान सभा के सदस्यों से मिलते हैं या वे लोग यहां पर आते हैं तो वे बड़े उत्सुक हो कर यह पूछते हैं कि किस प्रकार आपके मुख्य मंत्री अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते हुए लोगों के बीच में जाते हैं और अपने इन कार्यक्रमों को चलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें पीछे उत्तर प्रदेश में जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वहां पर गांवों के लोग हम से पूछते थे कि किस तरह से आपके गांवों में चौपालें बनती हैं, ग्रामीण विकास समितियां किस प्रकार काम करती हैं और किस प्रकार आपके मुख्यमंत्री लोगों के बीच में बैठकर आम आदमी की मांग पर मौके पर ही विकास के लिए पैसा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से प्रजातन्त्र प्रणाली को मजबूत और सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं कि श्री राजीव गांधी जी के समय में 1984-85 में एक कांस्टीच्युशनल अमैंडमैंट हुई थी। उसमें सबसे बड़ा लैकुना यह था कि चुनी हुई ईकाईयों को चाहे

उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, म्युनिसिपल कमेटी और जिला परिषद को कागजों में ही अधिकार दिए गए थे। So far as the financial powers are concerned वे दी ही नहीं गई थी। इतने बड़े संविधान का अमैंडमैंट एक किस्म से अधूरा था। उस अधूरे स्वप्न को हिन्दुस्तान में किसी ने साकार किया है तो वह हरियाणा प्रदेश ने किया है और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बधाई के पात्र हैं। यह जो स्वप्न साकार हुआ है इस बात को मैंने स्वयं अनुभव किया है। एक बार फरीदाबाद में एक मीटिंग थी और उसमें मैं, उदय भान जी और भगवान सहाय रावत जो थे, उसमें गांवों के सभी सरपंचों को, मैम्बर्ज पंचायत के सम्मानित लोगों को बुलाया गया था और कहा गया था कि आप अपने गांव की समस्याओं के बारे में बताएं। वहां पर कई गांवों की सरपंच महिलाएं भी थी जिनमें बाल्मीकि समुदाय की सरपंच थी। आज भी बाल्मीकि परिवार आर्थिक रूप से दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि आप अपने गांव के लिए कुछ मांगें। अब ये क्या मांगती क्योंकि उनको कुछ नोलेज ही नहीं थी तो उन्होंने कहा कि बाल्मीकि चौपाल दे दो। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये गरीब परिवार की है इनको स्कूल में दो कमरे दे दो, दो लाख रुपए की ग्रांट भी दो और वृद्धा आश्रम भी खोल दो। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कार्यक्रम पर हमें अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के साथ लगते हुए पड़ौसी प्रदेशों में भी हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों की कापी की जा रही है। पहले राजीव गांधी जी एक नारा लगाया करते थे कि दिल्ली से एक रुपया चलता है और उसमें से गांव के लोगों को 15 पैसे ही मिलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को काट करके ग्राम पंचायतों को आज सीधा पैसा दिया है। मैं यहां पर पुरजोर से कहता हूं कि जहां पर भी मुख्यमंत्री जी गए हैं। वहां पर चाहे किसी विचाराधीन की पंचायत हो या किसी भी धर्म की सरकार हो उनको बिना किसी भेदभाव के लाखों रुपए दिए हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम से हरियाणा प्रदेश के प्रांतों की समस्याओं का समाधान होगा और इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी धन्यवाद के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और आप स्वयं भी वाइडली ट्रैवल्ड हैं। मुख्यमंत्री जी के बाद आप ही दुनियाभर के ज्यादातर देशों में घुमे हुए हो। इंटैलिजैंट आदमी के साथ बैठने से उससे ज्यादा बात करने से आदमी का ज्ञान बढ़ता है और ज्यादा जानने को मिलता है। आपसे बातचीत करने के बाद हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। अध्यक्ष महोदय, आज इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी आज विकसित देशों का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो देश आगे बढ़े हैं उनके पीछे उनकी इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे हरियाणा में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम किए हैं उन्हीं की बदौलत आज हरियाणा को बंगलौर, हैदराबाद एवं चेन्नई के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश इन के मुकाबले में उभरा है। यहां पर पहली कक्षा से जो अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की गयी है उसको मैं अपने आप में एक एतिहासिक निर्णय मानता हूं क्योंकि गांवों में प्राईमरी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे ही जाते हैं। समाज का जो धनी एवं सम्पन्न वर्ग है उनके बच्चे तो टाई लगाकर कान्वैन्ट स्कूलों में ही पढ़ने जाते हैं। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि गांव के किसान का, मजदूर का या जो आर्थिक रूप से पिछड़ा आदमी है उनके बच्चे भी स्कूलों में अंग्रेजी सीखेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी लागू की है इससे लाखों गरीब लोगों के बच्चों का भला होगा। इसी तरह से अब स्कूलों या कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा भी आरंभ हो गयी है। गांवों के स्कूलों में आज बच्चे, हमारी

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

बहन बेटियां एवं युवा कम्प्यूटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। इसी तरह से हमारी सरकार द्वारा जो शिक्षण सत्र पहली मई से आरंभ होकर तीस अप्रैल तक चलाने का निर्णय किया गया है वह बहुत ही अच्छा है। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार शिक्षा के बारे में कितनी चिंतित है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आबाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, हमारी हरियाणा सरकार ने सारे देश में सबसे अच्छी खेल कूद पोलिसी बनायी है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष चेयर पर पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, प्राय: हरियाणा में खेल कूद प्रतियोगिता न होने की वजह या मैं कहूंगा कि हमारे नेताओं की भूल की वजह से सरकारी लेवल पर स्पोर्टस जैसे महत्वपूर्ण विषय को बिल्कुल ही ओझल कर दिया गया था। लेकिन इस सरकार के समय में पहली बार इस बारे में एक कल्चर बना है। मैं बड़े फख्र के साथ यह कहना चाहूंगा कि आज जो इस सरकार की खेल कूद नीति है उसी का परिणाम है कि सारे देश में और हिन्दुस्तान से बाहर भी खेल कूद प्रतियोगिताओं में हमारे प्रदेश के नौजवान होनहार खिलाड़ी अच्छे से अच्छा मैडल प्राप्त करके आ रहे हैं। यह बहुत बड़ा काम है। पहले हमारे खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करके नहीं आते थे, मैडल लेकर नहीं आते थे लेकिन अब इस कमी को हरियाणा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों ने पूरा किया है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है। यह सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है। भाई अभय सिंह इस के लिए बधाई के पात्र हैं। वे ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने दिन रात मेहनत करके खेल-कूद प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया है और खेल-कूद को गांवों तक पहुंचाया है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं अपने गांव गया था। हमारे गांव में लड़कियों का अलग से गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल है। जब मैं वहां गया तो बच्चियां कहने लगीं कि हमें खेल-कूद के लिए ट्रैक शूटस चाहिएं। मैंने कहा कि बेटा, आपका यह काम हम करवा देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार ने इस बारे में एक जागरूकता पैदा की है। इस तरह से अब जो अच्छे खिलाड़ी बनेंगे वह सारे राष्ट्र की धरोहर होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश विशेषकर

हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है हमारी सरकार ने किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान हो उसके लिए जो कृषि नीति बनाई है उससे सारे प्रदेश के लोगों को बड़ा भारी लाभ पहुंचा है। आप यह जानते हैं कि धीरे-धीरे खेत में बचत कम होती जा रही है इसलिए हमारी सरकार ने हॉर्टीकल्चर, फ्लोरिकल्चर जैसी कैश क्रॉप को बढ़ावा देने पर बल दिया है। सरकार ने इस की नीतियां निर्धारित की हैं जिससे किसान को डायरैक्ट लाभ मिल जाए। इन नीतियों के लागू करने से निश्चित रूप से सरकार उनके लिए बधाई की पात्र है। पहली फरवरी 2002 से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में ऐग्रीकल्चर हैल्पलाइन सर्विस आरम्भ की है यह सारे देश में प्रथम प्रदेश है जहां ऐसी सर्विस आरम्भ हुई है। अब हमारे गांव का साधारण किसान एस0टी0डी0 बूथ पर जाकर दो रुपये खर्च करके अपनी जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए ऐक्सपर्ट्स से बात कर सकेगा । यह बहुत ही अच्छा काम है मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो हरियाणा का ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड है वह सीधा किसान से संबंध रखता है भाई बलवंत सिंह मायना जी के नेतृत्व में इनकी टीम बहुत अच्छी है। हमने हिंदुस्तान से बाहर जाकर के देखा है कि जितनी अच्छी मंडियां हमारे यहां की हैं उतनी और कहीं की नहीं हैं। सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मार्किटिंग बोर्ड हमारा है इसके लिए मुख्यमंत्री जी, मायना साहब और सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार काफी समय के बाद बिजली जैसे मेन मुद्दे को संभालने और सुधारने का काम किसी ने किया है तो वह आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। आप जानते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा और पानी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बिना हवा और पानी के मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सभी के लिए आज बिजली बहुत आवश्यक है सुबह पांच बजे जब हम उठते हैं तो उठते ही हमारा हाथ बिजली के स्विच पर जाता है और सारे दिन के काम धंधे के बाद भी सोते समय हमारा हाथ बिजली के स्विच पर जाता है। बिजली के बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पहले लापरवाही रही और किसी ने बिजली के बारे में ध्यान नहीं दिया गया । आज सदन को यह अवगत कराते हुए बहुत खुशी होती है कि काफी दिन के बाद जो हमारे बिजली के संयंत्र हैं हमारे थर्मल वगैरह हैं। उनका जनरेशन बढ़ा है अब ट्रांसमीशन सिस्टम में और ऑगमैंटेशन सिस्टम में पहले से सुधार हुआ है। 40 साल पहले जो खंभे व तार वगैरह लगाए गए थे आज आवश्यकतानुसार इन्हें भी बदला जा रहा है। जहां ओवर लोडिंग की लाइनें थी उन लाइनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक किया जा रहा है और बड़े ट्रांसफारमर्ज लगाये जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे जिले फरीदाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी चार 66 के0 वी0 के सब स्टेशनों का शिलान्यास करके आये थे। मेरे पास सारे फिगर्ज हैं ये 220 के0 वी0 का सब स्टेशन पल्ला, 66 के0वी0 सैक्टर 45 में,66के0 वी0 का सैनिक कालौनी 3 में और 66 के0वी0 का सैक्टर 31में लगाये गये हैं जिस समय इन सब स्टेशनों का शिलान्यास किया जा रहा था तो मैं स्वयं वहां मौजूद था तथा हमारे बिजली विभाग की चेयरपर्सन आदरणीय मीनाक्षी आनन्द चौधरी भी मौजूद थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछा था कि यह काम कितने दिनों में पूरा हो जायेगा। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस वक्त विभाग ने जो समय दिया था उस निर्धारित समय से पहले ही प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनका उदघाटन भी किया है ताकि प्रदेश के लोगों को समय पर बिजली मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, जहां जनरेशन को बढ़ाया गया है वहां स्वाभाविक है कि अगमंटेशन और

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

ट्रांसमिशन सिस्टम को भी ठीक किये जाने की अति आवश्यकता है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) आज हमारे बिजली विभाग के सारे स्टोर सामान से भरे हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय हमने देखा कि गांवों के आदमी चार चार महीने गांव के ट्रांसफारमर्ज को लेकर अपने ट्रैक्टरों में घूमते रहते थे लेकिन उनको बदला नहीं जाता था लेकिन आज अगर गांव के आदमी टेलीफोन पर ट्रांसफारमर को बदलने की मांग करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप अपना ट्रांसफारमर भेज दीजिए हम इसे रिप्लेस करा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बिजली विभाग को आदरणीय मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इनकी देख रेख में इस विभाग में जो सुधार हो रहा है उस हिसाब से मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हरियाणा के प्रत्येक आदमी को 24 घण्टे बिजली मिलेगी और यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धी होगी । कई बार सरकार की उपलब्धियां प्रैस तक भी नहीं पहुंच पाती और आम आदमी तक भी नहीं पहुंच पाती । अध्यक्ष महोदय, मई, 2001 से पहली बार राज्य के इतिहास में औद्योगिक ईकाइयों को दी जाने वाली बिजली से पीक ओवर लोड के समय में प्रतिबन्ध उठाया है। चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र की बिजली में 17 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है यह बहुत बड़ी उपलब्धी है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं सरकार की सराहना करता हूं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बिजली विभाग अति शीघ्र हर किसान को, हर मजदूर को, और हर दुकानदार आदि को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करायेगा।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हरियाणा टूरिज्म का भी जिक्र किया है। आप जानते हैं कि सारे विश्व में कुरूक्षेत्र अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र को गीता की जन्मस्थली कहा जाता है और कृष्ण भगवान जी ने गीता का संदेश समस्त जाति को कुरूक्षेत्र के मैदान में दिया था। आज हमारी सरकार ने कुरूक्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का जो प्रयास किया है वह निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयत्न है। इस मामले में मैं आग्रह करूंगा कि अगर कुरूक्षेत्र को हवाई मार्ग से भी जोड़ दिया जाए तो विश्व का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां से टूरिस्ट कुरूक्षेत्र न जाएं। अध्यक्ष महोदय, आज सारी दुनिया में जो उथल-पुथल मची हुई है, पैसे की, सम्पति की जो हाय तौबा मची हुई है उससे भी मनुष्य धीरे-2 ऊबता जा रहा है। अन्त में सारी दुनिया के लोगों का मार्गदर्शन हम हिन्दुस्तान के लोग करेंगे क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके जो अमर संदेश है,उसी के अन्दर समस्त मानव जाति का विकास और सुरक्षा छिपी हुई है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिन्ट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 10 मिन्ट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र जैसे स्थान को निश्चित रूप से हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से विकसित करने में प्राथमिकता दी है जो कि एक सराहनीय कदम है। कुरूक्षेत्र का विकास होना ही चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, ने खानों के बारे में चर्चा की। सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि अब माइनिंग लीज खुली बोली द्वारा प्रदान करने की नीति बनाई गई है। इस नीति से काम में पारदर्शिता आई है।

अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य का भी आज के समाज में बड़ा भारी महत्व है। हमारी सरकार प्रत्येक हरियाणवी बहन-भाई को उसकी आवश्यकता अनुसार मिलने वाले शुद्ध पेय जल की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। जो बड़े गांव हैं उनमें जनसंख्या भी बढ़ी है इसलिए वहां और ट्यूबवैल्ज लगाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश की सड़कें इतनी वैल मैंटेन्ड हैं जितनी कि हमारे हरियाणा प्रदेश की सड़कें हैं। यह हम सभी के लिए एक सामूहिक उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। आज पूरे देश में हरियाणा सरकार का ट्रांस्पोर्ट सिस्टम सबसे अच्छा है। इसके लिए हरियाणा सरकार, ट्रांस्पोर्ट मंत्री भाई अशोक अरोड़ा जी और उनका सारा विभाग बधाई का पात्र है। अध्यक्ष महोदय, कई बार मेरे साथी विधायक भाई उदयभान जी और मैं बस से चण्डीगढ़ आते हैं उस समय हम आई0एस0बी0टी0 दिल्ली पर सभी स्टेटस की बसें देखते हैं उनमें हरियाणा रोडवेज की बसें सबसे अच्छी होती हैं और सवारियां यह कोशिश करती हैं कि उन्हें हरियाणा रोडवेज की बसें मिल जायें और वे उनमें ही बैठें । (इस समय मेजें थप-थपाई गई ।) अध्यक्ष महोदय, यह तभी संभव हुआ है जब हमारी बसों का रख-रखाव अच्छा है, उनमें लेटैस्ट टैक्नॉलोजी है, आरामदायक सीट्स हैं और हमारे ड्राईवर तथा कंडैक्टर समय पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी बसें समय पर चलती हैं। अध्यक्ष महोदय, 90 फीसदी लोगों की सवारी बसें हैं हम आप जैसे कारों में चलने वाले लोग बहुत कम हैं। मैं सरकार को, परिवहन मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को बधाई देता हूं कि इन्होंने 90 फीसदी लोगों के वाहन को देश में सबसे अच्छा बनाया है और लोगों को अच्छी बसें मुहैया करवाई हैं। इस काम के लिए मुख्यमंत्री जी का, ट्रांस्पोर्ट मंत्री जी का और उनके पूरे विभाग का जितना धन्यवाद किया जाये वह कम है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि 1966 में जब हरियाणा बना उस समय कालेजों में केवल 6833 लड़कियां थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि आज शिक्षा के अंदर हमारी सरकार ने अच्छे निर्णय लिये हैं। यह हमारी अच्छी शिक्षा नीति का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में लगभग 90 हजार लड़कियां कालेजों में जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, समाज का सर्वांगीण विकास भी तभी हो सकता है जब हम अपनी बहन-बेटियों को ज्यादा शिक्षित कर सकें। निश्चित रूप से सरकार इसके के लिए भी बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं और सदन के सभी सदस्य अपने इलाके के पुराने सम्मानित और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित हैं और कृषि में सभी अपनी रूचि रखते हैं। सभी को मालूम है कि किसान का सबसे ज्यादा रिश्ता अपने

[श्री राजेन्द्र सिंह बिलला]

पशु के साथ ही होता है और किसान सर्दी, बरसात और खराब मौसम से अपने छोटे बच्चे को बाहर रख सकते हैं लेकिन अपने पशु को अंदर ले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार ने पशु धन के बारे में अच्छी नीतियां चलाई हैं और राज्य में कई नये पशु चिकित्सालय तथा कई नये पशु औषद्यालय खोले गये। हरियाणा में दुधारू पशुओं की अच्छी देखभाल के कारण ही देश भर के लोग हरियाणा के पशुओं को ज्यादा पसंद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने समाज कल्याण के लिए बहुत विकास कार्य किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वृद्धों, बेसहारा औरतों, विधवाओं, बच्चों तथा विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की तरफ विशेष ध्यान दिया है जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की कुछ पोलिसी और नीतियां इतनी अच्छी हैं जिनको हमारे पड़ोस के नेता ओर ब्यूरोक्रैटस कापी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक सुखद परम्परा होगी।

अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा अधिकार है। मैं जितना बोल सकता हूं चेयर के आदेशानुसार बोलूंगा। (विघ्न) बहन जी, कभी-कभी फास्ट भी रख लिया करो, ज्यादा खाते हो तभी तो वजन बढ़ा हुआ है। आपकी बात भी मान लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं समापन की तरफ चलता हूं। मैं कानून व्यवस्था की बात करके अपनी बात एक मिनट में खत्म कर देता हूं। कानून व्यवस्था के बारे में मेरा कहना है कि क्राईम और कानून को तोड़ने वाले और पालना न करने वाले जब हमारा सतयुग का समय था उस समय भी रहे हैं लेकिन व्यवस्था में दोषियों को सजा देने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं यह चीज देखने वाली है। आज बहुत अच्छी कानून व्यवस्था हमारे यहां पर है। हम अपने पड़ोसी प्रदेश में गए। हमने वहां पर देखा कि 6.00 बजे बाद किसी पैट्रोल पम्प पर तेल नहीं मिलता। वहां 6.00 बजे पैट्रोल पम्प बंद कर देते हैं। हमारे यहां पर 24 घण्टे हाईवे चलता है। पैट्रोल पम्प खुले रहते हैं और ढाबे चलते रहते हैं। कुल मिलाकर अच्छी कानून व्यवस्था के लिए मैं सरकार की सराहना करते हुए इस बारे में बधाई देना चाहता हूं। (विघ्न) डा0 रंगा साहब मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी कुछ कहूं। ये बहुत ही लालायित नजरों से देख रहे हैं। इनको भी बहुत अच्छा विभाग मिला है क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साथियों के चयन में बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सिस्टम के अन्दर ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है इसलिए जो अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट्स पूर्ण ईमानदारी के साथ व पारदर्शिता के साथ हमारी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं हमें उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अंत में भाई निशान सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उसका अनुमोदन करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और वह इनकी संख्या पूरी न होने की वजह से जब गिर गया तो उससे निरूत्साहित व गुस्साये मैम्बर वैल में आ गए और नोंक-झोंक हुई। इस नोंक-झोंक में उनसे कोई अन-पार्लियामेन्टरी शब्द निकल गया या किसी दूसरे मैम्बर से निकल गया या चेयर की तरफ से ऐसा शब्द निकल गया जो प्रोसिडिंग्ज का पार्ट न बने उनको कार्यवाही का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, अत: ऐसे शब्दों को निकाल दिया गया समझा जाये।

Mr. Speaker : Motion moved —

"That the Address be presented to the Governor in the following terms—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 4th March, 2002".

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 6th March, 2002

*13.54 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 6th March, 2002)

34718—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh